उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार, 28 पौष, शक संवत्, 1926
(दिनांक : 18 जनवरी, 2005)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "क")।

2. प्रश्न (देखिये नत्थी "ख")।

3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

4. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाईस्कूल तलियायन के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह कठैत एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

5. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जाखणीधार के जूनियर हाईस्कूल स्यूरी के उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री भगवान सिंह राणा एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

6. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाईस्कूल द्वबसौड़ के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री जय प्रकाश कुकरेती एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

7. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल के लोक निर्माण विभाग घनसाली के पटागली-इन्द्रौला-बणवुरी मोटर मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री हिम्मत सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

....2/....

8. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल के लोक निर्माण विभाग घनसाली के अधीन जखन्याली-ढ़ाबरौड़-सेमल्य मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री प्रेम सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल के लोक निर्माण विभाग घनसाली के कोट-तोली-जाखणा पंगेठी मोटर मार्ग की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में" श्री हुकम सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के जूनियर हाईस्कूल बणचुरी के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री हिकमत सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग घनसाली के कोटी-जाख डखवाण गांव, गनवाड़ी-थांजी हल्का वाहन मार्ग निर्माण तथा डामरीकरण व सुधारीकरण के सम्बन्ध में" श्री पुरूषोत्तम पंवार एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अधीन जूनियर हाईस्कूल कांगड़ा के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री गोविन्द सिंह राणा एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद टिहरी गढ़वाल के लोक निर्माण विभाग घनसाली के ठेला-यार्ति-बड़ियार-चिरबटिया मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सूरत सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

14. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

15. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

16. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

17. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

....3/....

18. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करेंगे।

19. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"ग")

20. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

21. संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी :-

"मैं प्रस्ताव करती हूँ कि विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों (यथा अद्यतन संशोधित) के अनुसरण में विधायक निधि वर्ष 2004-2005 में प्रत्येक माननीय सदस्य को अनुमन्य विधायक निधि से देश के दक्षिणी भाग में आयी सुनामी लहरों के कारण उत्पन्न आपदा के राहत हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष में सुनामी पीड़ितों की सहायतार्थ रू0 10 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दी जाय।"

22. श्री हेमेश खर्कवाल द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान :-
"यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2005 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी (घ))

समय-अपराह्न 4 : 00 बजे

23. मुख्य मंत्री वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करेंगे।

24. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 18 जनवरी, 2005

(महेश चन्द्र)
सचिव।

प्रथम सत्र, 2005
का प्रथम मंगलवार

उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

सोमवार, 28 पौष, शक संवत्, 1926
(दिनांक : 18 जनवरी, 2005)

नत्थी ''क''

अल्पसूचित प्रश्न

श्री प्रकाश पंत
22-12-2004

स्वास्थ्य

**1. क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि राज्य में लैब टैक्नीशियनों के रिक्त पदों पर आवेदन अखिल भारतीय स्तर पर आमंत्रित किये गये हैं? यदि हाँ, तो तृतीय श्रेणी के पद पर राज्य के बेरोजगार लैब टैक्नीशियन प्रशिक्षण प्राप्त युवक-युवतियों को सेवायोजित किये जाने की सरकार की योजना का स्वरूप क्या है?

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

श्री प्रकाश पंत 24-09-2004	*1. क्या संसदीय कार्य मंत्री बतायेंगी कि सरकार उत्तरांचल में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव कर रही है? यदि हाँ, तो उसका प्रस्तावित स्वरूप क्या है?	**संसदीय कार्य**
डा0 नारायण सिंह जन्तवाल 25-09-2004	*2. क्या नगर विकास मंत्री अवगत है कि जनपद नैनीताल के नैनीताल शहर में स्थित मालरोड़ ग्राण्ड होटल के समीप जमीन लगातार धँसने से नैनीताल शहर व प्रसिद्ध नैनीझील को खतरा उत्पन्न हो गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार वाडिया इन्स्टीट्यूट और जियोलॉजी विभाग देहरादून द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर प्रो0 हुक्कू द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नैनीझील की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कार्यवाही कर रही है? यदि हाँ, तो अभी तक क्या प्रगति हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?	**द्वितीय सोमवार के तारांकित 10 में स्था0**
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 11-10-2004	*3. क्या नगर विकास मंत्री भिज्ञ हैं कि नगर विकास विभाग द्वारा विद्युत विभाग एवं पेयजल संस्थान को ऐसे आदेश निर्गत किये गये हैं, कि विविध विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में बिना स्वीकृत मानचित्र के विद्युत एवं जल संयोजन न दिये जाय? यदि हाँ, तो उक्त आदेश कब निर्गत किये गये तथा इन आदेशों का मूल उद्देश्य क्या हैं?	**द्वितीय सोमवार के तारांकित 12 में स्था0**
श्री प्रीतम सिंह पंवार 15-10-2004	*4. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में पायी जाने वाली दुर्लभ औषधीय वनस्पतियों के संरक्षण संवर्द्धन व उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत "औषधीय वनस्पति वन संस्था उत्तरांचल" का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त संस्था को अब तक कितना अनुदान दिया गया है और किन-किन योजनाओं के क्रियान्वयन पर व्यय किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन**
श्री हरभजन सिंह चीमा 15-10-2004	*5. **स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया**	
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 25-10-2004	*6. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश निर्माण निगम वर्तमान में उत्तरांचल की निर्माणाधीन अनेक योजनाओं पर कार्य कर रहा है? यदि हाँ, तो सरकार यह भी बतलाने का कष्ट करेगी कि उत्तरांचल की निर्माण संबंधी योजनाओं हेतु उत्तरांचल की ही निर्माण एजेन्सी/ निगम गठित न किए जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**लोक निर्माण**

स्थगित अतारांकित प्रश्न

डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 22-06-2004	1.	क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री धाम में बस स्टेशन की असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए गंगोत्री धाम के बस स्टेशन से आधा कि0मी0 पीछे तक मोटर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री अजय भट्ट 25-06-2004	2.	क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लोक निर्माण के कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को उनकी सेवा निवृत्ति के उपरान्त या मरणोपरान्त उनको या उनके वारिसों को भविष्य निधि का पैसा भुगतान किये जाने के प्रकरण लम्बित है? कब तक सरकार लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 08-06-2004	3.	क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेगी कि हरिद्वार-मसूरी मार्ग पर डोईवाला के निकट सौंग नदी पर बने मोटर पुल तथा रिस्पना नदी पर धोरण के पास बने पुलों के निर्माण पर कितना व्यय हुआ और इनसे अभी तक सरकार को कितनी आय हुई है? वसूली की यह व्यवस्था कब तक जारी रहेगी? यदि हाँ, तो कब तक?	लोक निर्माण

अतारांकित प्रश्न

श्री नारायण राम आर्य 21-09-2004	1.	क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड गंगोलीहाट में वर्ष 2003-04 में कितने मोटर मार्ग स्वीकृत हुए एवं इनमें से कितने मार्गों के आगणन शासन को प्राप्त हो चुके हैं? क्या स्वीकृत मोटर मार्गों का इस वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ हो जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 04-10-2004	2.	क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में विभिन्न स्थलों/गांवों में दिसम्बर, 2003 व जनवरी, 2004 में आदमखोर बाघ द्वारा मारे गए तथा घायल किए बच्चों के संदर्भ में पीड़ितों को पुनरीक्षित दर पर मुआवजे का भुगतान किया गया? यदि हाँ, तो कब और कितना? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री प्रीतम सिंह पंवार 05-10-2004	3.	क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ जोगथ मोटरमार्ग पर भागीरथी पर बने मोटर पुल को डूब क्षेत्र में आने के कारण कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्रीमती विजया बड़थ्वाल 05-10-2004	4.	क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत लक्ष्मणझूला-कांडी, दुगड्डा, रथुवाढाब, मैदावन धूमाकोट मोटर मार्ग एवं लक्ष्मणझूला-गैण्डखाल, सिलोगी, चैलूसैण, लैसंडाउन रिखणीखाल-बीरोंखाल मोटर मार्ग (जो कि प्रमुख मार्ग हैं) को स्टेट हाई-वे बनाने जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण

श्रीमती विजय बड़थ्वाल 05-10-2004	5. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर के गण्डरखाल-आमसैंण हल्का वाहन मार्ग का निर्माण कब किया गया था? क्या मार्ग के निर्माण से पूर्व विभाग द्वारा भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया गया था? यदि हाँ, तो क्या मोटर मार्ग यातायात के लिए जनता को सुलभ है? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 05-0-2004	6. क्या राज्य सम्पति मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि नई दिल्ली स्थित उत्तरांचल निवास में प्रदेश की आवश्यता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में आवासीय कक्ष उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस हेतु अतिरिक्त भवन बनाने पर विचार करेगी? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 9 नवम्बर, 2000 से उत्तरांचल निवास पर वर्षवार कितना व्यय हुआ है?	राज्य सम्पति
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 06-10-2004	7. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान गुरूडचट्टी (लक्ष्मणझूला-कांडी रोड) पर केन्द्रीय सड़क निधि से दो लेन के पुल निर्माण हेतु 9 करोड 38 लाख रूपये स्वीकृत हुए हैं? यदि हाँ, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा तथा निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 06-10-2004	8. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि लोक निर्माण विभाग (उत्तरांचल) में कार्य प्रभारित श्रमिकों को नियमित कर उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि को ही आधार मानकर ग्रेच्यूटी व पेंशन का लाभ दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 05-10-2004	9. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के ग्राम मंगोलीगांव में नयार नदी पर पूर्व में स्वीकृत झूला पुल का निर्माण कार्य किन कारणों से रोक दिया गया? क्या सरकार जनहित में उक्त झूला पुल का निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ किये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री बिशन सिंह चुफाल 12-10-2004	10. क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई मन्दिर से पेटसाल तक पांच किलोमीटर की दूरी का ग्रेडिंग, मानक के अनुरूप नहीं है? यदि हाँ, तो क्या सरकार मानक के अनुसार सड़क का निर्माण करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री बिशन सिंह चुफाल 12-10-2004	11. क्या वन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अस्कोट मृगविहार का क्षेत्रफल कम करने के लिये मा० सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश किये हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त मृग विहार का क्षेत्रफल कम करने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है?	वन

श्री प्रीतम सिंह पंवार 12-10-2004	12. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी के अन्तर्गत प्रतापनगर क्षेत्र से आने जाने वाले हल्के वाहनों के लिये स्यांस् व पीपलडाली में पुलों का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या भारी वाहनों के आने जाने के लिये भी कोई व्यवस्था की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री बिशन सिंह चुफाल 14-10-2004	13. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत पमस्यारी के ग्राम खोजा में वर्ष 2003 में दैवी आपदा से गांव जोड़ने वाला पुल बह जाने से गांवों का आपसी सम्पर्क तथा विद्यालय में छात्रों का आना-जाना बन्द रहता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित तथा छात्रहित में पुल का निर्माण यथाशीघ्र करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री बिशन सिंह चुफाल 14-10-2004	14. क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1997 में गौरी नदी में फबुवा बगड़ में स्वीकृत झूला पुल निर्माण कार्य में कुल कितना रूपया खर्च किया गया है तथा किन कारणों से निर्माण कार्य रोका गया? क्या सरकार पुल का पुनः निर्माण करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री हरभजन सिंह चीमा 14-10-2004	15. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत काशीपुर में मुरादाबाद-काशीपुर मुख्य मार्ग को काशीपुर-रूद्रपुर एवं काशीपुर-रामनगर मुख्य मार्गो से जोड़े जाने हेतु बाईपास बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 15-10-2004	16. क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के जंगलों में पाई जाने वाली गुच्छी (च्यूँ) के संग्रहण व बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध है? यदि हाँ, तो उक्त प्रतिबन्ध कब तक हटा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री बिशन सिंह चुफाल 15-10-2004	17. क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के पांखू, कोटमान्या मोटर मार्ग से दशोली तक 2 कि.मी. सड़क जगह-जगह मलवा आने तथा दिवाल टूट जाने से बन्द है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को यातायात हेतु ठीक करवायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री बिशन सिंह चुफाल 16-10-2004	18. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत दूनाकोट के पास रोतिस नदी में पैदल पुल के नजदीक 100 मीटर रास्ता 19 जून, 2004 को दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके फलस्वरूप पुल में जाने का मार्ग अवरूद्ध हो गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का अविलम्ब निर्माण करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण

श्री प्रीतम सिंह पंवार 16-10-2004	19.	क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कौन-कौन सी जड़ी-बूटियों के उत्पादन पर वन विभाग द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है? वह कौन-कौन सी जड़ी-बूटियाँ है जिन्हें काश्तकार अपनी भूमि पर उत्पादन कर बिक्री कर सकते हैं?	वन
श्री हरभजन सिंह चीमा 18-10-2004	20.	क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में किसानों द्वारा अपनी निजी भूमि में उगाई जाने वाली वन सम्पदा के कटान व बिक्री हेतु सरकार द्वारा निर्धारित नीति का सरलीकरण किया जाना विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 18-10-2004	21.	**विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त**	
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 18-10-2004	22.	क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत पैड़ी कुंजासू मोटरमार्ग वाहन चलने योग्य हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा यह मार्ग कब तक वाहन चलने योग्य हो जायेगा?	लोक निर्माण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 19-10-2004	23.	**दिनांक 17-01-2005 को अतारांकित 184 द्वारा उत्तरित**	
श्री प्रीतम सिंह पंवार 16-10-2004	24.	**दिनांक 17-01-2005 को अतारांकित 181 द्वारा उत्तरित**	
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 25-10-2004	25.	**पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त**	
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 25-10-2004	26.	क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के धार डुगी मेखुरा मोटर मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया है? यदि नहीं, तो उक्त मार्ग के पूर्ण न होने के क्या कारण हैं?	लोक निर्माण

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
27-10-2004

27. क्या सूचना एवं प्रोद्यौगिकी मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि सूचना विभाग में वर्तमान में संविदा पर कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं? क्या यह सत्य है कि विगत वर्ष कुछ कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति दे दी गयी है? यदि हाँ, तो शेष कर्मचारियों को भी स्थायी नियुक्ति प्रदान किये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

सूचना

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
27-10-2004

28. क्या वन मंत्री के संज्ञान में है कि चालू वर्ष में जनपद चमोली के अन्तर्गत कीमती जड़ी-बूटियों की तस्करी के आरोप में कतिपय लोगों को पकड़ा गया था? यदि हाँ, तो इनसे कौन-कौन सी एवम् कितनी कीमत की जड़ी-बूटियां पकड़ी गयी तथा सरकार द्वारा इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

श्रीमती आशा नौटियाल
29-10-2004

29. क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के पुराने निरीक्षण भवनों का विस्तारीकरण एवं मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हाँ, तो कब तक विस्तारीकरण व मरम्मत कार्य कराया जायेगा? यदि नहीं, क्यों?

लोक निर्माण

श्री प्रीतम सिंह पंवार
29-10-2004

30. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड डुण्डा व चिन्यालीसौड़ के मध्य सिलक्यारा-बणगांव-बनचौरा मोटर मार्ग का डामरीकरण कब तक करा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

डा0 नारायण सिंह जन्तवाल
28-09-2004

31. क्या सूचना एवं प्रोद्योगिकी मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा दि.12 जून, 2004 को आई.टी.अकादमी का शिलान्यास कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल के हैरिटेज भवन में किया गया है? यदि हाँ, तो अकादमी में सम्पन्न होने वाले कार्यों का स्वरुप क्या होगा? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त अकादमी में कुमाऊँ विश्वविद्यालय (नैनीताल) की भूमिका क्या होगी तथा भवन एवं अन्य सम्पत्ति किसके क्षेत्राधिकार में रहेगी?

सूचना एवं प्रोद्योगिकी

श्री बिशन सिंह चुफाल
29-10-2004

32. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के थल, गोल, आमथल, मोटर मार्ग का कार्य वर्ष 2002 से बन्द हैं तथा संबंधित ठेकेदारों का भुगतान भी नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़कों का निर्माण करायेगी तथा ठेकेदारों के बिलों का भुगतान किया जाना भी सुनिश्चित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
01-11-2004

33. क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत राजपुर रोड़ स्थित सेंट जोजेफ एकेडमी को पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा भूमि लीज पर दी गई थी? यदि हाँ, तो कितनी व कितने समय के लिये? क्या सरकार लीज की अवधि पूर्ण होने पर उक्त जमीन को वापस लिये जाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

द्वितीय सोमवार के अता0 34 में स्था0

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 01-11-2004	34. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मसूरी-देहरा विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत की जा रही भूमि के अन्तर्गत आने वाली शैक्षणिक संस्थाओं की भूमि, भवन आदि का भी अधिग्रहण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कितने विद्यालयों के भवन व भूमि अधिगृहीत की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	द्वितीय सोमवार के अता0 35 में स्था0
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 01-11-2004	35. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कैम्पटीफाल पर्यटन स्थल को यातायात की समस्या से मुक्त करने हेतु कैम्पटीफाल में बाईपास बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 01-11-2004	36. क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में कुल कितने कर्मचारी संविदा/दैनिक मजदूरी पर कार्यरत हैं तथा उनका विवरण क्या है? क्या सरकार इन कर्मचारियों को नियमित सेवा में लेने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	राज्य सम्पत्ति
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 02-11-2004	37. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के वि0ख0 घाट के विजार गांव को नन्दप्रयाग घाट मार्ग से जोड़ने के लिये सरकार झूला पूल के निर्माण पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 02-11-2004	38. क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के वि0ख0 घाट के घाट धराली मोटर मार्ग का कुल कितने कि.मी. तक डामरीकरण किया गया है? क्या सरकार यह भी बतलाने का कष्ट करेगी कि उक्त मार्ग के पूर्ण डामरीकरण का आगणन शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग का डामरीकरण कब तक कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 02-11-2004	39. क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के वि0ख0 घाट के घाट सूतोल कनोल मोटर मार्ग कुल कितने कि.मी. स्वीकृत किया गया तथा कितना कि.मी. मार्ग बनकर तैयार हो गया है? क्या सरकार शेष मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 04-11-2004	40. क्या वन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि वन रक्षकों के श्रेणी निर्धारण, प्रोन्नति एवम् वेतन संशोधन किये जाने पर सरकार विचार कर रही है? क्या यह सत्य है कि उक्त प्रकरण विगत कई वर्षो से लम्बित हैं? यदि हाँ, तो कब तक उक्त समस्या का निराकरण कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	वन

श्री कैलाश शर्मा 04-11-2004	41. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2001 से नाप भूमि के लीसा सेवकों का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त लीसा सेवकों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री कैलाश शर्मा 04-11-2004	42. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि वर्ष 2004-05 में उत्तरांचल के सभी जनपदों में स्वीकृत नये मोटर मार्गों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?	लोक निर्माण
श्री कैलाश शर्मा 04-11-2004	43. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 भैसियाछाना के अन्तर्गत भैसियाछाना से तल्ला सेराघाट मोटर मार्ग की स्वीकृति सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा?	लोक निर्माण
श्री कैलाश शर्मा 04-11-2004	44. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद अल्मोड़ा में लमगड़ा वि0ख0 में ढ़ौरा मोतियापाथर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किन कारणों से बन्द किया गया है? क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण यथाशीघ्र प्रारम्भ करवायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री अजय भट्ट 08-11-2004	45. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले में रानीखेत के ग्राम वलना एवं द्वाराहाट के ग्राम कोटयूड़ा के मध्य झूलापुल लम्बे समय से ध्वस्त है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त झूला पुल का निर्माण अविलम्ब कराये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री प्रकाश पंत 09-11-2004	46. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा वन क्षेत्रों की भूमि को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निजी उद्यमियों को निर्धारित शर्तों के अधीन सौंपे जाने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कार्ययोजना का स्वरूप क्या है?	वन
श्री फूल सिंह बिष्ट 10-11-2004	47. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी में सिरखांली-भैंतलाखाल मोटर मार्ग निमार्ण हेतु 10.50 किलोमीटर लम्बाई और एक 42 मीटर स्पान पुल सहित शासनादेश संख्या 1645/28-5-51 लो0नि0/92 टी0सी0 दिनांक 31.03.1993 में 91.30 लाख की स्वीकृति प्राप्त है? क्या उक्त मार्ग के निर्माण पर मार्च, 2003 तक 157.34 लाख धन व्यय हो चुका है? क्या यह सत्य है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण में से एक 42 मीटर लम्बाई का लोह सेतु एवं 4.50 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण अधूरा और तकनीकी मानदण्डों के विरूद्ध है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जांच तथा शेष मोटर मार्ग का निर्माण जनहित में अविलम्ब करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण

श्री फूल सिंह बिष्ट
10-11-2004

48. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत धारकोट वगद्वारा कुरानी गांव, रिंडोल वारकोट, नेल्डा तथा कफलोग हल्का वाहन मार्गों हेतु कुल कितनी धनराशि कब स्वीकृत गई थी? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगी कि उक्त सभी मार्गो पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया तथा मार्गो पर यातायात कब से प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री फूल सिंह बिष्ट
10-11-2004

49. **पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त**

श्री तसलीम अहमद
16-11-2004

50. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने हेतु क्या मानक निर्धारित किये गये हैं?

नगर विकास

श्री तसलीम अहमद
16-11-2004

51. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजा जी नेशनल पार्क से जनवरी 2004 से अब तक कितने वृक्षों की चोरी हुयी एवं कितनी लकड़ी वन माफियों के पास से बरामद हुयी? क्या यह सत्य है कि इन चोरियों में वन विभाग के कर्मचारियों की संलिप्तता उजागर हुयी है? यदि हॉं तो कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नही तो क्यों?

वन

श्री फूल सिंह बिष्ट
16-11-2004

52. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 फरवरी, 2004 को हर्बलपार्क मुनी-की-रेती के उद्घाटन अवसर पर मुनी-की-रेती में मांजफ-मन्दार मोटर मार्ग जनपद टिहरी गढ़वाल हेतु 15 किमी0 निर्माण कराये जाने की घोषणा की गयी थी? यदि हॉं तो उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि नही तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री फूल सिंह बिष्ट
18-11-2004

53. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 फरवरी, 2004 को मुनी-की-रेती में हर्बलपार्क के उद्घाटन अवसर पर मुनी-की-रेती में प्रतापनगर के लिये टिहरी बांध के कारण बदली भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये लोक निर्माण विभाग का अलग खण्डीय कार्यालय खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हॉं, तो खण्डीय कार्यालय प्रतापनगर में कब तक खोल दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण

श्री फूल सिंह बिष्ट 18-11-2004	**54.** क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 फरवरी, 2004 को मुनी-की-रेती में हर्बलपार्क के उद्घाटन के अवसर पर मोटना, मदननेगी मोटर मार्ग जनपद टिहरी हेतु 21 कि0मी0 में डामरीकरण कराये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग का डामरीकरण कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	**लोक निर्माण**
श्री फूल सिंह बिष्ट 18-11-2004	**55.** क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 फरवरी, 2004 को मुनी-की-रेती में हर्बलपार्क के उद्घाटन के अवसर पर ओनालगांव-कोटालगांव मोटर मार्ग जनपद टिहरी हेतु 05 कि.मी. निर्माण कराये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	**लोक निर्माण**
श्री अजय भट्ट 19-11-2004	**56.** क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में ''वर्क चार्ज'' में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा क्या सरकार ने इन्हें नियमित करने की कोई योजना बना रही है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो कब तक इन कर्मचारियों को नियमित कर दिया जायेगा?	**लोक निर्माण**
श्री प्रकाश पंत 02-12-2004	**57.** क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ में मार्च, 2003 से पूर्व कितने मोटर मार्ग स्वीकृत तथा निर्माणाधीन है? क्या सभी स्वीकृत तथा निर्माणाधीन मोटर मार्ग मार्च, 2005 तक पूर्ण हो जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	**लोक निर्माण**
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 20-11-2004	**58.** क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि विभागीय सड़क निर्माण के कार्यों में निविदाओं की स्वीकृति हेतु ठेकेदारों से उच्च दरों पर निविदाएं प्राप्त होने की दशा में कम से कम 3 बार निविदाएं पुनः आमंत्रित करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रक्रिया का पालन जनपद पौड़ी के निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर गढ़वाल की खण्डा-सुभाड़ी-बुधाणी मोटर मार्ग पक्कीकरण की निविदाओं की स्वीकृति हेतु किया गया? क्या यह सत्य है कि उक्त कार्य 17 से 18 प्रतिशत अधिक दरों पर कार्य सम्पन्न किया जा रहा है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगी कि निविदा शर्तो का पालन न करने हेतु दोषी अधिकारी से सरकार को हुई हानि की प्रतिपूर्ति की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**लोक निर्माण**
श्री फूल सिंह बिष्ट 22-11-2004	**59.** क्या वन मंत्री अवगत हैं कि विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर जनपद टिहरी गढ़वाल की पट्टी भदूरा के ग्राम खिट्टा, आबकी, खलडगांव, पोखरी, तिनवालगांव, पट्टी ओण के मांजफ, घुल्डानी, पट्टी रैका के ग्राम बनाली, पट्टी धारमण्डल के ग्राम म्यूण्डा, पट्टी ढुगमन्दार के ग्राम मन्दार, कस्तल के कृषकों की फसलों को प्रतिवर्ष जंगली जानवरों द्वारा क्षति पहुँचाई जा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार कृषकों को मुआवजा मुहैया करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वन

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 22-11-2004	60. क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के दूरस्थ क्षेत्र सेरागाड के गाड़ गंगा से पिण्डर नदी पर झूला पुल बनाये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उक्त के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 22-11-2004	61. क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के कर्णप्रयाग नैनिसैड मोटर मार्ग पर कितने कि.मी. तक डामरीकरण एवम् चौडीकरण स्वीकृत है? क्या उक्त कार्य पूर्ण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 23-11-2004	62. क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के कर्णप्रयाग नैनिसैंड़ मोटर मार्ग को विस्तार कालूसैड़ तक करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री फूल सिंह बिष्ट 27-11-2004	63. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम खिट्टा, मंजखेत, आबकी में जंगली जानवरों से फसल को सुरक्षित रखने हेतु तारबाड़ लगाये जान पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल 29-11-2004	64. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बन्दरों द्वारा फसलों को किये जा रहे नुकसान को रोकने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
डा0 नारायण सिंह जन्तवाल 27-09-2004	65. क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के भीमताल में स्थित पंत पार्क (पूर्व में शहीद पार्क) में स्थित भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पंत जी की मूर्ति अत्यंत जर्जर अवस्था में है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मूर्ति तथा पार्क के सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	नगर विकास
श्री मदन कौशिक 28-09-2004	66. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि श्रावण मास में कावड़ियों हेतु सरकार द्वारा हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के अलावा अन्य वैकल्पिक मार्ग की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री हरभजन सिंह चीमा 26-10-2004	67. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2002-03 व 2003-04 में जनपद उधमसिंहनगर की विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं? यदि हाँ, तो कितने व किस-किस को? यदि नहीं तो क्यों?	नगर विकास
श्री हरभजन सिंह चीमा 26-10-2004	68. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2003 में हरिद्वार अर्धकुम्भ मेले पर सरकार द्वारा किस मद में कुल कितना धन खर्च किया गया है? केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि अर्धकुम्भ मेले हेतु दी गई है?	नगर विकास

नत्थी - "ग"

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 जनवरी, 2005 की बैठक में दिनांक 18 जनवरी, 2005 से दिनांक 20 जनवरी, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

<u>जनवरी, 2005</u>

18 मंगलवार

सुनामी पीड़ितों हेतु संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर मतदान :-

"मैं प्रस्ताव करती हूँ कि विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों (यथा अद्यतन संशोधित) के अनुसरण में विधायक निधि वर्ष 2004-2005 में प्रत्येक माननीय सदस्य को अनुमन्य विधायक निधि से देश के दक्षिणी भाग में आयी सुनामी लहरों के कारण उत्पन्न आपदा के राहत हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष में सुनामी पीड़ितों की सहायतार्थ रू0 10 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दी जाय।"

(शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा)

19 बुधवार

उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (आधा घण्टा)

20 गुरुवार

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में गौ-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध हेतु सरकार कानून बनाए।"

(शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा)

उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी "घ"

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

क्र.सं. प्रस्तावक का नाम — **संशोधन का रूप**

1. श्री मातबर सिंह कण्डारी
नेता प्रतिपक्ष
तथा श्री भगत सिंह कोश्यारी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने,
2. भ्रष्टाचार और अफसरशाही पर अंकुश लगाये जाने,
3. कृषि को उद्योग का दर्जा देने,
4. गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को बी0पी0एल0 कार्ड और इन्दिरा आवास की सुविधा ग्रामसभा द्वारा दिये जाने,
5. प्रदेश में बस दुर्घटनाओं पर रोक लगाये जाने,
6. विकास प्राधिकरणों से आम जनता को निजात दिलाये जाने,
7. प्रदेश को पर्यटन-ऊर्जा प्रदेश बनाये जाने,
8. प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था को दुरस्त किये जाने और बढ़ते अपराधों को रोके जाने,
9. विद्युत कटौती एवं लो-वोल्टेज से प्रदेश की जनता को राहत दिये जाने,
10. उ0प्र0 के साथ परिसम्पत्तियों का बंटवारा और विकल्पधारियों को कार्यमुक्त किये जाने,
11. मिट्टी तेल की ब्लैक मार्केटिंग को रोके जाने,
12. दैनिक वेतन भोगी/संविदा/नियत वेतनमान तथा तदर्थ पर कार्यरत कर्मचारियों के विनियमितीकरण किये जाने,
13. कृषकों/मजदूरों/झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों के उत्थान के लिए कार्ययोजना बनाये जाने,
14. कृषकों के बकाये गन्ने मूल्य का भुगतान किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15. जल कर/जल मूल्य/विद्युत कर/सीवरेज चार्जेज़ की वृद्धि पर रोक लगाने, 16. प्रदेश में खराब पड़े हैण्ड पम्पों/क्षतिग्रस्त नहरों/खराब नलकूपों तथा बन्द पड़ी हाईड्रम योजनाओं को चालू करने, 17. विकास कार्यो के लिए टेण्डर राशि की सीमा घटाने, 18. शिक्षा मित्र/शिक्षा बन्धु/विजिटिंग प्रवक्ता/व्यवसायिक शिक्षक तथा प्रशिक्षित शिक्षकों का विनियमितीकरण किये जाने, 19. तहसील/उपतहसीलों में स्टाफ की नियुक्ति किये जाने, 20. उत्तरकाशी/चमोली/बागेश्वर/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़ के भेड़ उत्पादकों की ऊन की बिक्री की व्यवस्था किये जाने, 21. मूल निवास/जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने, 22. बेरोजगार विद्युत अप्रेन्टिसों को नियुक्ति प्रदान किये जाने, 23. विशिष्ट बी0टी0सी0 में तत्काल प्रशिक्षण दिये जाने, 24. राष्ट्रीय पार्कों, उद्यानों और पशु विहारों में बसे ग्रामीणों का पुनर्वास उचित स्थान पर किए जाने, 25. पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की प्रवृत्ति को रोकने की योजना बनाये जाने, 26. रूद्रप्रयाग/कपकोट (बागेश्वर) में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने, 27. कपकोट (बागेश्वर) में पालीटैक्निक संस्थान खोले जाने।
2.	श्री विशन सिंह चुफाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. जनपद पिथौरागढ़ के नाचनी बांस बगड़ सड़क, डीडीहाट अदिचौरा सड़क, पमतोडी भातड़ सड़क, बेरीनाग पूरानाथल सड़क का डामरीकरण किये जाने, 2. जनपद पिथौरागढ़ के पूरानाथल तडीगांव मोटर मार्ग के राम गंगा नदी पर मोटर पुल का निर्माण किये जाने, 3. जनपद पिथौरागढ़ के जू0हा0 स्कूल विर्थी का उच्चीकरण किये जाने, 4. जनपद पिथौरागढ़ रा0 कन्या उ0मा0वि0 थल का उच्चीकरण किये जाने, 5. जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट को जनपद बनाये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6. जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट तथा बेरीनाग में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने, 7. जनपद पिथौरागढ़ के चौकोडी उडियारी में लिफ्ट पेयजल योजना बनाये जाने, 8. डीडीहाट में पौलिटेक्निक कालेज खोले जाने, 9. राजकीय बालिका इन्टर कालेज डीडीहाट का भवन निर्माण किये जाने, 10. होकरा, कोटगाड़ी तथा सिराकोट धार्मिक स्थलों का विकास किये जाने।
3.	श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उत्तरांचल के समस्त महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के पदों को भरे जाने, 2. उत्तरांचल के समस्त संस्कृत महाविद्यालयों में रिक्त पदों को अविलम्ब भरे जाने एवं अध्यापकों को पंचम वेतनमान दिये जाने, 3. उत्तरांचल में व्यवसायिक शिक्षा से जुड़े अध्यापकों को विनियमित किये जाने, 4. जनपद चमोली के वि0ख0 कर्णप्रयाग के कन्या जू0 हाईस्कूल भकण्डा का उच्चीकरण किये जाने, 5. जनपद चमोली के वि0ख0 कर्णप्रयाग के राजकीय हाईस्कूल सिलिंगी का उच्चीकरण किये जाने, 6. जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी में लो0नि0 विभाग का डिविज़न खोले जाने, 7. जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी में रा0उ0मा0वि0 चौण्डी का उच्चीकरण किये जाने, 8. उत्तरांचल में सवित्त मान्यता के लिए समस्त आवेदक जूनियर हाईस्कूल एवं हाईस्कूलों को वित्त मान्यता प्रदान किये जाने, 9. जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी में राजकीय पौलिटैक्निक खोले जाने, 10. जनपद चमोली के वि0ख0 घाट में राजकीय आई0टी0आई0 खोले जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11. जनपद चमोली के वि0ख0 घाट में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने, 12. जनपद चमोली के वि0ख0 घाट में बुरागांव को मोटर मार्ग से जोड़े जाने, 13. जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी में पोखरी से हरिशंकर होते हुये चौण्डी, रौता, कनकचौरी तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने, 14. गढ़वाल विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के अन्तर्गत म्यूजियोलाजी विषय हेतु प्रवक्ता के पद को सृजित किये जाने, 15. बद्रीनाथ केदारनाथ मन्दिर समिति एक्ट के अन्तर्गत उत्तरांचल विधान सभा के तीन सदस्यों को मन्दिर समिति में बतौर सदस्य नामित किये जाने, 16. जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी एवं घाट में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास खोले जाने, 17. जनपद चमोली के गोपेश्वर पोखरी एवं पोखरी मोहनखाल मोटर मार्ग को गड्ढा मुक्त किये जाने, 18. जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी के पैडी कुजासु मोटर मार्ग को वाहन योग्य बनाये जाने, 19. जनपद चमोली के वि0ख0 घाट में धूर्मा मोखकुण्डी मोटर मार्ग का विस्तार किये जाने, 20. जनपद चमोली के नगर पंचायत नन्दप्रयाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, 21. जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने, 22. जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी के प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी मन्दिर एवं नागनाथ मन्दिर का सौन्दर्यीकरण किये जाने, 23. उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय को पर्वतीय क्षेत्र में खोले जाने, 24. उत्तरांचल लोक सेवा आयोग में समूह 'ग' के पदों को आयोग की परिधि से बाहर किये जाने, 25. लोकायुक्त द्वारा सरकार को दी गयी रिपोर्ट को सार्वजनिक किये जाने।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
4.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. स्वर्गाश्रम लक्ष्मणझूला नीलकंठ महादेव, यमकेश्वर महादेव, महाबगढ़, भैरवगढ़ी नागदेवगढ़ी, वशिष्ठ आश्रम, कण्व आश्रम उत्तरांचल पर्यटन में शामिल कर विकसित किये जाने,
2. जनपद पौड़ी गढ़वाल के छः विकास खण्डों यमकेश्वर, द्वारीखाल (ढांगू) जहरीखाल, दुगड्डा, रिखणीखाल, नैनीडांडा को मिला कर एक अलग जनपद बनाये जाने,
3. उ0मा0 विद्यालय महादेव चट्टी पूर्व मा0 विद्यालय चोपड़ा, पू0मा0 विद्यालय बिन्द्रा (ग्वील) पू0मा0 विद्यालय माला का उच्चीकरण किये जाने,
4. विकास खण्ड द्वारीखाल एवं विकास खण्ड यमकेश्वर की पांच पट्टियों को मिलाकर एक अलग विकास खण्ड की स्थापना किये जाने,
5. ग्राम कुनाऊँ, कौडियां किमसार रोड ग्राम गंगा भोगपुर, चीला, पैदलमार्ग नीलकंठ, महादेव व समस्त गौहरीरेंज को राजाजी नेशनल पार्क की परिधि से हटाये जाने,
6. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत देवीखेत में महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
7. उप स्वास्थ्य केन्द्र भृगुखाल, उपस्वास्थ्य केन्द्र जसपुर, उपस्वास्थ्य केन्द्र सुमेरसैंण उपस्वास्थ्य केन्द्र किनसुर, उपस्वास्थ्य केन्द्र पौखाल का उच्चीकरण किये जाने,
8. विकास खण्ड द्वारीखाल के डांडामडी व देवीखेत में तथा विकास खण्ड यमकेश्वर के भृगुखाल में मिनी स्टेडियम की स्थापना किये जाने,
9. फूलचट्टी से सिरांसू, माला सेरा व हरिद्वार बद्रीनाथ पैदल मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने,
10. कौड़िया किमसार रोड का सुधारीकरण, डामरीकरण किये जाने,
11. ह्यूवल नदी में फूलचट्टी के पास व नयार नदी पर एक-एक झूलापुल बनाये जाने,
12. नीलकंठ महादेव से लक्ष्मणझूला तक बाईपास मोटर मार्ग एवं एक रज्जु मार्ग बनाये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13. हयूवल नदी व नयारनदी पर छोटी-छोट जल विद्युत योजनाएं बनाये जाने, 14. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के दूरस्थ गांवों को सड़कों से जोड़े जाने, 15. ग्राम सभा जोंक व स्वर्गाश्रम लक्ष्मणझूला को नगर पंचायत बनाये जाने।
5.	श्री गोविन्द लाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. पिण्डर विधान सभा के अन्तर्गत बेदनी बुग्याल को रज्जु मार्ग से जोड़े जाने, 2. पिण्डर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ओली बुग्याल क्षेत्र को शीतकालीन हिम क्रीडा स्थल का निर्माण किये जाने, 3. जनपद चमोली के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूला गवनी का उच्चीकरण किये जाने, 4. जनपद चमोली के अन्तर्गत देवाल विकास खण्ड स्तर पर बालिका इण्टर कालेज खोले जाने, 5. जनपद चमोली के अन्तर्गत पिण्डर विधान सभा क्षेत्र के दूरस्थ ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़े जाने, 6. जनपद चमोली के अन्तर्गत नारायणबगड़ एवं देवाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण/विस्तारीकरण किये जाने, 7. जनपद चमोली के अन्तर्गत पिण्डर विधान सभा क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हाई स्कूलों का उच्चीकरण किये जाने, 8. जनपद चमोली के अन्तर्गत पिण्डर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कृषकों द्वारा उत्पादित आलू एवं माल्टा के लिए विपणन केन्द्र खोले जाने, 9. जनपद चमोली के अन्तर्गत पिण्डर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्रहम ताल मेफलताल, सुखताल एवं झलताल को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
6.	श्रीमती आशा नौटियाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत रा0 स्ना0 महाविद्यालय अगस्त्यमुनी को आदर्श महाविद्यालय बनाये जाने,
2. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत वि0ख0 ऊखीमठ में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने,
3. प्रसिद्ध धाम केदारनाथ को मोटर मार्ग से जोड़े जाने,
4. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत वि0ख0 अगस्त्यमुनी एवं ऊखीमठ में उत्पादित होने वाले माल्टा, नीबू (फलों) एवं सब्जियों के विपणन की उचित व्यवस्था किये जाने,
5. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत स्थान विद्यापीठ में प्रस्तावित संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने,
6. प्रसिद्ध पर्यटक स्थल देवरियाताल, वासुकीताल, चोपता, दुगलबिट्टा, नागताल इत्यादि का सौन्दर्यीकरण किये जाने,
7. प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तुंगनाथ, कार्तिक स्वामी को रज्जु मार्ग से जोड़े जाने,
8. विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में महिला पौलीटेक्निक खोले जाने,
9. वि0ख0 अगस्त्यमुनी के स्थान बांसवाड़ा में मन्दाकिनी नदी पर झूलापुल का निर्माण किये जाने,
10. अगस्त्यमुनी में महिला हास्पिटल खोले जाने,
11. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत गुप्तकाशी, काण्डेई, दुर्गाधार मयकोटी में स्थित कन्या जूनियर हाई स्कूलों का उच्चीकरण किये जाने,
12. जनपद रूद्रप्रयाग में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के निर्माण तथा वि0ख0 ऊखीमठ के आपदा से प्रभावित परिवारों का विस्थापन किये जाने,
13. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत भेड़ प्रजनन केन्द्र चलीयाखोड़ (मक्कूमठ) फार्म को विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण किये जाने,
14. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊखीमठ का उच्चीकरण किये जाने,
15. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत रा0उ0मा0वि0 पल्लद्वाड़ी, रा0हाई स्कूल क्यूंजा, बावई जू0हाई0 स्कूल खतपतियाखाल, बाड़व व भौंसाल कुरझड़ा तथा रांसी का उच्चीकरण किये जाने, 17. नव सृजित जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तल्ला नागपुर तथा बसुकेदार में नये वि0 खण्डों का सृजन किये जाने, 18. जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मदमहेश्वर को मोटर मार्ग से जोड़े जाने, 19. नव सृजित जनपद रूद्रप्रयाग में सभी विभागों में नियुक्ति तथा कार्यालयों का निर्माण किये जाने, 20. गम्भीर पेयजल संकट से जूझ रहे जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तल्ला नागपुर क्षेत्र को अलकनन्दा लिफ्ट पम्पिंग पेयजल योजना से जोड़े जाने।
7.	श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण व विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून को समाप्त किये जाने, 2. ग्रामीण क्षेत्रों में भवनों, दुकानों के मानचित्र स्वीकृति का अधिकार पूर्व की भांति जिला पंचायतों ग्राम पंचायतों व शहरी क्षेत्र में नगर पंचायतों नगर निगम, नगर परिषदों को दिये जाने, 3. श्रीनगर गढ़वाल में मेडिकल कालेज जुलाई, 2005 में खोले जाने, 4. हल्द्वानी स्थित मेडिकल कालेज में शुल्क देश के अन्य राज्यों की भांति रू0 360 से 1200 रू0 के मध्य किये जाने, 5. 1988 में डाइमण्ड एण्ड जैम डवलपमेंट कारपोरेशन मुम्बई को लीज में दी गई भूमि की लीज समाप्त कर हल्द्वानी स्थित फोरेस्ट ट्रस्ट मेडिकल कालेज को दिये जाने, 6. उत्तरांचल के मेडिकल कालेज में प्रवेश अहर्ता देश के अन्य राज्यों की भांति राज्य के 10+2 परीक्षा व डोमिसाइल की अनिवार्यता किये जाने, 7. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत अधूरे निर्मित मार्ग मोथरोंवाला दूधली मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8. हरिद्वार रोड देहरादून में सी0एम0आई0 अस्पताल से रिस्पना पुल तक सड़क के किनारे नाले का निर्माण किये जाने, 9. धर्मपुर चौक से पुलिस चौकी सहारनपुर बाई पास तक निर्माधीन मार्ग को शीघ्र पूर्ण किये जाने, 10. राजकीय महाविद्यालय डोईवाला के लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषित रू0 25,000.000 की राशि शीघ्र अवमुक्त किये जाने, 11. मौहकमपुर (हरिद्वार मार्ग देहरादून) से नत्थनपुर होते हुए नेहरू ग्राम पोस्ट आफिस तक के मोटर मार्ग का पक्कीकरण किये जाने, 12. धर्मपुर नेहरू कालोनी होते हुए रायपुर की तरफ रायपुर नहर को अण्डर ग्राउण्ड कर मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने, 13. मसूरी-देहरा विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की जा रही भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किये जाने।
8.	श्री अनिल नौटियाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. जनपद चमोली में पूर्व स्वीकृत अपर शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक की नियुक्ति किये जाने, 2. जनपद चमोली के कालेश्वर में ट्रासपोर्ट नगर की स्थापना किये जाने, 3. जनपद चमोली के औद्योगिक क्षेत्र सिमली में शीघ्र सरकारी उद्योग लगाये जाने, 4. जनपद चमोली के भैरवगढी, फरसों, बेनीताल, को पर्यटक क्षेत्र घोषित किये जाने, 5. जनपद चमोली में गैरसैण-पज्याणा, आदिबद्री-भराडीसैण, गोचर-बरतोली-दुगड्डा, सकण्ड-चौरासैण, बिछोना मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने, 6. गौचर में मिनी स्टेडियम बनाये जाने, 7. चांदपुर गढी विकास खण्ड का निर्माण किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8. जनपद चमोली के हरगड-बीना, घण्ड्याल, फरकण्डे, कुनीगाड़ सिदौली, घण्ड्याल, बिछेना में एलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने, 9. जनपद चमोली में सिमली,नौली,दासमियागांव, कालीमाटी में झूला पुल का निर्माण किये जाने, 10. जनपद चमोली में रा0इ0मा0वि0 सलियाणा, नैल, बरतोली, नन्दासैण, लाटूगैर, कांसुवा का उच्चीकरण किये जाने, 11. जनपद चमोली में दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ सिमली की क्षमता बढ़ाने, 12. जनपद चमोली में सिमली-सेनू नहर निर्माण किये जाने, 13. जनपद चमोली के खनसर-कालीमाटी, सिमली में बाढ़ नियंत्रण किये जाने, 14. जनपद चमोली के पशु-प्रजनन केन्द्र भराड़ीसैण को विकसित किये जाने।
9.	श्री प्रकाश पन्त	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उत्तरांचल राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के समन्वित विकास हेतु स्थापित सीमान्त विकास प्राधिकरण की उपलब्धियों तथा किये गये विकास कार्यो, 2. राज्य में स्थापित हवाई पट्टियों नैनी-सैनी व गोचर में नियमित वायु सेवा प्रारम्भ करने, 3. जनपद पिथौरागढ़ में पूर्व घोषित कृत्रिम झील (रई) स्थापित करने में हुयी प्रगति के सम्बन्ध में, 4. मार्च 2002 से पूर्व निर्माणाधीन समस्त मोटर मार्ग हल्का वाहन मार्गो की प्रगति के सम्बन्ध में, 5. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु मोटर मार्ग, चिकित्सालय, विद्यालयों के निर्माण हेतु विधायकों से संस्तुतियां प्राप्त करने, 6. जनपद पिथौरागढ़ में नवीन मोटर मार्गो के निर्माण, डामरीकरण तथा पुलों के निर्माण किये जाने, 7. जनपद पिथौरागढ़ में नये हाईस्कूल व इन्टरमीडिएट खोलने।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
10.	काजी निजामुद्दीन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तरांचल राज्य की सीमा का विस्तार सहारनपुर मण्डल एवं जनपद बिजनौर तक किये जाने,
2. उत्तरांचल राज्य में शिक्षा के लिए मूल निवास प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने,
3. मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने,
4. राज्य में पेराई सन् 2004-2005 में गन्ने का मूल्य 150 रू0 प्रति कुन्तल किये जाने,
5. राज्य में पड़ने वाली समस्त सिंचाई प्रोजेक्ट्स पर उत्तरांचल राज्य का स्वामित्व होने,
6. यूकेलिपटेस के कटान से रवन्ना समाप्त किये जाने,
7. राज्य के 35 वर्ष तक की आयु के समस्त स्नातकों एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने,
8. अल्प संख्यक, दलित एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति दोगुना किये जाने,
9. राज्य के अरबी एवं फारसी मदरसे एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा वेतनमान दिये जाने,
10. राज्य में दलित वर्ग के लोगों को दिए गए पट्टे पर स्थायी स्वामित्व प्रदान किये जाने,
11. राज्य के खेती में प्रयोग होने वाले नलकूपों पर बकाया बिलों पर सरचार्ज समाप्त किये जाने,
12. राज्य की सीमाओं पर स्थित व्यापार कर चौकियों पर यातायात सुचारू रखने के लिए सड़क चौड़ी किये जाने,
13. मण्डी परिषद् द्वारा 1969 में लागू मण्डी शुल्क एवं मजदूरी दर को पुर्नवीक्षित करने,
14. उत्तर प्रदेश की भांति उत्तरांचल राज्य में गुड़ को व्यापार कर से मुक्त करने,
15. पर्यटक राज्य होने के कारण प्रदेश के सभी मार्गों पर पर्यटकों की सुविधा को दृष्टिगत रखकर समाप्त किये जाने,
16. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत कस्बा मंगलौर में हाईस्कूल एवं कन्या इन्टर कालेज की स्थापना किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		17. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत कस्बा मंगलौर में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने, 18. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत कस्बा मंगलौर में परिवहन डिपो की स्थापना किये जाने, 19. राज्य के पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने, 20. पत्रकार कल्याण कोष की भांति सामुहिक बीमा योजना की सुविधा प्रदान करने।
11.	श्री मदन कौशिक	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के उपाय किये जाने, 2. बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ठोस कार्य योजना बनाये जाने, 3. प्रदेश में चकबन्दी को समाप्त किये जाने, 4. उत्तरांचल में किसानों को गन्ने का उचित मूल्य एवं भुगतान की योजना बनाये जाने, 5. स्थायी निवास प्रमाण पत्र को सरलता से दिलाये जाने, 6. प्रदेश के शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण की नीति को पारदर्शी बनाने, 7. प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने, 8. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र मे कन्या सांईस डिग्री कालेज खोलने, 9. हरिद्वार में आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोलने, 10. हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने, 11. उत्तरांचल राज्य में वैट लागू न करने, 12. प्रदेश में माओवादियों व अन्य आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने, 13. उत्तरांचल में विधायकों हेतु विधायक निधि 1 करोड़ किये जाने, 14. उत्तरांचल में पर्यावरण हेतु कार्य योजना बनाये जाने, 15. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत हरिद्वार में एल0एल0बी0 की कक्षायें खोलने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत हरिद्वार में मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने, 17. हरिद्वार जनपद के बहादराबाद, सुल्तानपुर, भगवानपुर, शिवालिक नगर नारसन को नगर पंचायत बनाये जाने, 18. उत्तरांचल में रुड़की को अलग जिला बनाये जाने, 19. उत्तरांचल में हरिद्वार को कमिश्नरी बनाये जाने, 20. उत्तरांचल में संस्कृत महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति किये जाने, 21. राज्य में गौरक्षा आयोग के गठन किये जाने, 22. उत्तरांचल में हरिद्वार को नगर निगम बनाये जाने, 23. हरिद्वार में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने, 24. राज्य में हरिद्वार में लगने वाले कावड मेले सहित अन्य मेलों का नोटिफिकेशन पर धन देने की व्यवस्था करने, 25. हरिद्वार के अन्तर्गत ज्वालापुर में बस स्टैण्ड बनाये जाने, 26. उत्तरांचल के संस्कृत विद्यालयों को पंचम् वेतनमान दिये जाने, 27. प्रदेश में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिये जाने, 28. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी हेतु ज्वालापुर इण्टर कालेज एवं इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, मध्य हरिद्वार में ट्यूबवैल लगाने, 29. हरिद्वार में शेष सीवरेज का निर्माण किये जाने, 30. हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र के लाटोवाली में नाले के निर्माण करने, 31. हरिद्वार को हवाई मार्ग से जोड़ने, 32. हरिद्वार में आऊटर रिंग रोड बनाये जाने, 33. भ्रष्टाचार एवं घोटालों पर पाबन्दी लगाने की कार्ययोजना बनाने, 34. प्रदेश में बिजली की व्यवस्था ठीक करने, 35. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास की कार्ययोजना बनाये जाने, 36. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन की प्रवृत्ति रोकने, 37. हरिद्वार में शिक्षा को बढ़ाने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने, 38. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत ज्वालापुर में चिकित्सालय को उच्चीकृत किये जाने, 39. हरिद्वार में जिला लाइब्रेरी की स्थापना करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		40. राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में कार्यरत डिमोस्ट्रेटर पद धारक शिक्षकों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली की संस्तुतियां के आधार पर प्रवक्ता पद नामित करने, 41. प्रदेश के अशासकीय जू0हा0 स्कूलों को बिना भेदभाव एक समान नीति बनाकर अनुदान देने, 42. हरिद्वार की ऋषिकुल विद्यापीठ में कोई परिवर्तन न करने एवं उसमें संचालित संस्कृत विद्यालय की दशा सुधारने, 43. हरिद्वार स्पोर्टस स्टेडियम की स्थापना करने।
12.	श्री कैलाश शर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. जनपद अल्मोड़ा में मेडिकल कालेज की स्वीकृति दिये जाने, 2. जनपद अल्मोड़ा में सेराघाट सरयू नदी से अल्मोड़ा नगर एवं निकटवर्ती ग्राम पंचायतों हेतु पेयजल योजना निर्माण किये जाने, 3. जनपद अल्मोड़ा हवालबाग में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह निर्माण की स्वीकृति दिये जाने, 4. जनपद अल्मोड़ा के लमगड़ा में ल्वेशाल से उन्यूड़ा मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने, 5. जनपद अल्मोड़ा के लमगड़ा विशौद में राजकीय ऐलोपैथिक अस्पताल के निर्माण किये जाने, 6. जनपद अल्मोड़ा के भैसियाछाना विकास खण्ड में आई0टी0आई0 की स्वीकृति प्रदान किये जाने, 7. जनपद अल्मोड़ा के भैसियाछाना में स्टेडियम निर्माण किये जाने, 8. जनपद अल्मोड़ा के लमगडा के राजकीय पालिटेक्निक की स्वीकृति दिये जाने, 9. जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में जूनियर हाईस्कूल बल्टा के उच्चीकरण किये जाने, 10. जनपद अल्मोड़ा नगर में नये बालिका एवं बालक राजकीय इण्टर कालेजों की स्वीकृति दिये जाने, 11. जनपद अल्मोड़ा नगर में टैक्सी स्टैण्ड की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12. जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में ममरछीना कसून मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने, 13. जनपद अल्मोड़ा के भैसियाछाना में नौ गांव, कुनखेत में पैदल पुल निर्माण किये जाने, 14. जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में महतगांव स्यूरा बर्शिमी मोटर मार्ग निर्माण किये जाने, 15. जनपद अल्मोड़ा के लमगड़ा विसौद पट्टी उन्यूड़ा में डिग्री कालेज की स्वीकृति दिये जाने, 16. जनपद अल्मोड़ा के भैसियाछाना में महिला डिग्री कालेज की स्वीकृति प्रदान किये जाने, 17. जनपद अल्मोड़ा लमगड़ा के उन्यूड़ा स्यूणसीमा में फडका नदी पर हाईड्रम योजना बनाये जाने, 18. जनपद अल्मोड़ा के लमगड़ा में बुसौड़ी के तोक भेड़ागांव में हाईड्रम योजना बनाये जाने, 19. जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में राजीव नवोदय विद्यालय की स्थापना किये जाने, 20. जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग बसोली मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने, 21. जनपद अल्मोड़ा के सितलाखेत, कसारदेवी, लमगड़ा, जलना, को पर्यटक स्थल घोषित किये जाने, 22. जनपद अल्मोड़ा के पपरसैली, भुल्यूड़ा बिन्तोला मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने।
13.	श्री प्रीतम सिंह पंवार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति (निर्माण) के लिए 10 वर्षों से अधिक समय तक आन्दोलन करने वाले आन्दोलनकारियों को जेल जाने व घायल आन्दोलनकारियों की भांति सुविधायें प्रदान करने, 2. उत्तरांचल राज्य की स्थाई राजधानी घोषित करने, 3. उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए अलग से रियायत देने, 4. उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में टैक्सी/वाहन परमिट प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों को समाप्त करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5. उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों सहित चिकित्सा शिविर एवं मोबाइल चिकित्सा वाहन के जरिए निश्चित तिथियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने,
		6. उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों से बहने वाली छोटी-बड़ी नदियों के किनारे बसे गांवों को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लिफ्ट योजनाओं का निर्माण करने,
		7. प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों व घायलों को पूरे राज्य में अलग-अलग सहायता उपलब्ध कराये जाने के बजाय एक समान सहायता देने,
		8. उत्तरांचल के सीमान्त जनपदों में निवास करने वाले बाहरी व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन व परिचय पत्र जारी करने,
		9. राज्य में लोक सभा व विधान सभा क्षेत्रों के पुनर्परिसीमन के बजाय पूर्व में किए गए परिसीमन को यथावत रखने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश भेजे जाने,
		10. राज्य के खर्चे में कटौती के लिए सरकारी कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह करने,
		11. औषधीय गुणों से परिपूर्ण राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की मुख्य फसलों व फलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने,
		12. प्रदेश के चार धामों यथा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ के विकास के लिए पृथक से बजट में प्राविधान करने,
		13. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में स्थित धार्मिक, पर्यटक स्थलों व पौराणिक मन्दिरों को चिन्हित कर उनके विकास व संरक्षण के लिए कार्ययोजना बनाने,
		14. निर्माणाधीन हवाई पट्टियों का कार्य पूर्ण कर इसी वर्ष से चालू करने,
		15. पर्यटन को बढ़ावा देने एवं संस्कृति संरक्षण के लिए आयोजित होने वाले मेलों/त्याहारों को एक समान अनुदान देने,
		16. प्रदेश के बुग्याल क्षेत्रों में वन गुजरों द्वारा चराए जाने वाले पशुओं पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने,
		17. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने के जनसंख्या मानकों में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मानकों में छूट देने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		18. देश की सीमाओं में शहीद होने वाले सैनिकों के स्मारक जनपद मुख्यालय में बनाने एवं स्कूलों व सड़कों के नाम उनकी स्मृति में रखने, 19. जनपद उत्तरकाशी के दिवारीखोल में राजीव नवोदय विद्यालय इसी वर्ष से प्रारम्भ करने, 20. सीमांत जनपद उत्तरकाशी में खेल विद्यालय खोले जाने, 21. राजकीय महाविद्यालय चिन्याली सौड़ के लिए कृषि विभाग की चिन्याली सौड़ स्थित बंजर भूमि को स्थानान्तरित करने, 22. ग्राम स्तर पर खेल मैदान निर्माण करने, 23. राजकीय महाविद्यालय चिन्याली सौड़, बड़कोट व पुरोला में प्रवक्ताओं व प्राचार्य के रिक्त पदों को भरने, 24. जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने, 25. जनपद उत्तरकाशी स्थित जोगत स्लिप जोन का उपचार कर वर्षों से बंद पड़ी सड़क को खोलने, 26. बड़कोट जनपद उत्तरकाशी में भू-स्खलन व जमीन धंसने की घटना को रोकने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने, 27. जनपद उत्तरकाशी के सभी चिकित्सालयों में चिकित्सक व फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों को भरने, 28. चिन्याली सौड़ (उत्तरकाशी) में स्वीकृत तहसील को खोले जाने, 29. प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने, 30. आपदा को रोकने के लिए छोटी-बड़ी नदियों के किनारे निर्धारित सीमा तक भवन निर्माण पर रोक लगाने, 31. मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत जूनियर हाई स्कूल कामदा व चमियारी जनपद उत्तरकाशी का हाईस्कूल स्तर पर तथा हाईस्कूल कोट्यार (गमरी) व बर्नीगाड जनपद उत्तरकाशी का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण को इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति देने व कक्षाएं प्रारम्भ करने, 32. जनपद उत्तरकाशी के जूनियर हाई स्कूल मणी, दियली, बधाणगांव, कांसी, कण्डई, जेष्टवाड़ी, तराकोट, गढ व गातू का हाई स्कूल स्तर पर तथा हाई स्कूल कण्डारी, जुणगा, मंजगांव, घट्वालधार का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		33. जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मुख्यालय नौगांव में बालिका हाई स्कूल तथा चिन्याली सौड़ में बालिका इण्टरमीडिएट स्कूल खोलने, 34. पानी के संरक्षण व उपयोग के लिए जल नीति बनाने, 35. जनपद उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती गांवों को जोड़ने के लिए चामी-सिंगुणी से नौगांव गोडर, गातू से मोलागांव, सिमलसारी से गैर (गब्बा), सिमलसारी से दारसौं(ठेलिंका), विला नौगांव से जरड़ा होते हुए धारी (कलोगी), नालूपानी-पटारा से सिल्क्यारा, धरासू-जसपुर, चिन्याली सौड़ से कोट (बागी), जोगत-लम्बगांव मोटर मार्गों की स्वीकृति व निर्माण करने, 36. पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण के लिए दूरी पर आधारित दरें बनाने, 37. देहरादून से जोगत (उत्तरकाशी), देहरादून से बनचौरा होते हुए उत्तरकाशी व देहरादून से पिपली, धनारी, फोल्ड होते हुए उत्तरकाशी के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम की बसे नियमित चलाने, 38. धार्मिक स्थल नीलकंठ, यमुनोत्री व केदारनाथ के लिए रज्जू मार्गों का निर्माण करने, 39. यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ (चार धामों) के लिए प्रस्तावित "चार धाम विकास एकीकृत अधिनियम" में अनादिकाल से चली आ रही पूजा व्यवस्था में लगे पंडा-पुरोहितों के हक हकूकों को सुरक्षित रखने, 40. यमुनोत्री विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गोडर, खाटल, गीठ व वजरी पट्टियों के उन प्राथमिक विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण तथा अल्प अवधि में क्षतिग्रस्त उक्त विद्यालय भवनों के तथाकथित घटिया निर्माण कार्यो की जाँचकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने, 41. उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में भेषज विकास अधिकारी (प्रशिक्षित) नियुक्त करने, 42. प्रदेश में मृदा परीक्षण की सुविधा न्याय पंचायत स्तर में देने, 43. राज्य में श्रम संविदा सहकारी समितियों को 10 लाख तक के निर्माण कार्य सीधे आवंटित करने, 44. विकासनगर-यमुनोत्री मोटर के क्षतिग्रस्त हिस्से (डाकपत्थर से यमुना पुल) के मरम्मत करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		45. जनपद उत्तरकाशी के उन गांवों में जहाँ वर्षों से विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हैं मरम्मत कर विद्युत आपूर्ति इसी वर्ष बहाल करने, 46. विस्थापन की समस्या से बचने के लिए बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के बजाय लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण करने तथा परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को शत-प्रतिशत रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था करने, 47. प्रदेश में स्थापित होने वाले छोटे-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रदेश के ही शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार नियुक्त किये जाने, 48. जनपद उत्तरकाशी के अध्यापक विहीन व शिक्षा मित्रों के भरोसे चलने वाले प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती करने एवम् भवन विहीन विद्यालयों के भवन निर्माण करने, 49. नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने, 50. प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों व बोतलों के प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने, 51. जनपद उत्तरकाशी में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना करने, 52. राज्य के पर्वतीय जनपदों में भी उधोगों की स्थापना करने, 53. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में बी0एड0 एवं एल0एल0बी0 के साथ-साथ पर्यटन व संचार की कक्षायें संचालित करने, 54. जनपद उत्तरकाशी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिन्यालीसौड़ का उच्चीकरण करने, 55. विधायक क्षेत्र विकास निधि के मानकों में संशोधन करने, 56. सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत राज्य के सुदूरवर्ती गांवों में के0यू0 बैण्ड सैटेलाईट वितरण का लक्ष्य निर्धारित करने, 57. जनपद उत्तरकाशी में वरूणावत त्रासदी में बेघरबार हुए लोगों को पुनर्वासित करने, 58. पाला-मनेरी, लोहारी नाग पाला जल विद्युत परियोजनाओं में अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के भूमिधरों को परियोजना में नौकरी दिए जाने, 59. यमुनोत्री धाम में हुए भूस्खलन से हुई क्षति का ट्रीटमेन्ट करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		60. राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों, बुग्यालों का विकास करने, 61. जनपद उत्तरकाशी के नौगांव से स्योरी (सेब पट्टी) हेतु रोपवे निर्माण किये जाने, 62. जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड फकोट (नरेन्द्र नगर) में आगर, भैंग्याकी आदि चार-पांच गांवों के ऊपर बिछाई जाने वाली पावर ग्रिड की हाईटेन्शन लाइन को स्थानान्तरित करने अथवा प्रभावित गांवों को पुनर्वासित करने, 63. राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को जड़ी-बूटी उत्पादन करने के लिए सरकारी खाली जमीन पट्टे पर उपलब्ध कराने, 64. फलों, सब्जियों इत्यादि के विपणन के लिए प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालयों में मिनी मण्डियों की स्थापना करने, 65. यमुनोत्री मन्दिर शीतकाल में बंद होने पर यमुना जी के दर्शन खरसाली में करने हेतु व्यवस्था करने, 66. प्रदेश में शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्रों एवं शिक्षाचार्यों को नियमित करने, 67. प्रदेश में आन्दोलित विद्युत अप्रैन्टिसों को ऊर्जा विभाग में सेवायोजित करने, 68. जनपद उत्तरकाशी में पूर्णकालिक क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी की तैनाती करने, 69. उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद मुख्यालयों हेतु देहरादून से राज्य पथ परिवहन निगम की दो-दो डीलक्स बसें संचालित करने, 70. मनेरी भाली परियोजना प्रथम चरण में तिलोथ पावर हाऊस उत्तरकाशी के लिए अधिग्रहीत की गयी भूमि के भूमिधरों को सेवायोजित किए जाने सम्बन्धी समझौते के अनुपालन करने, 71. राजस्व पटवारियों को पुलिस निरीक्षक के समान सुविधायें दिए जाने, 72. देहरादून से हर्षिल धराली तक राज्य पथ परिवहन निगम की प्रत्येक दिवस एक बस संचालित करने, 73. जनपद उत्तरकाशी के डोडीताल, नचिकेताताल, हरकीदून तथा टिहरी जनपद के सहस्त्रताल जाने हेतु सुदृढ़ ट्रेकमार्गों तथा विश्रामालयों का निर्माण करने, 74. वन भूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया में लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराने, 75. युवाओं के समग्र विकास के लिए राज्य युवा नीति घोषित करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		76. राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत थातियों, मेलों, त्योहारों, धार्मिक उत्सवों, कलाओं, विधाओं को संरक्षित रखने के लिए कार्य योजना बनाने, 77. जनपद उत्तरकाशी के वार्सू एवं रैथल में स्थित जड़ी-बूटी नर्सरियों को सुदृढ़/परिष्कृत करने, 78. रंवाल्टा/जौनपुरी समुदाय की भांति थत्यूड़ (जौनपुर) विकास खण्ड के अवशेष भाग सकलाना पट्टी को भी पिछड़ा क्षेत्र में सम्मिलित करने, 79. चम्बा, जड़ीपानी, काणाताल-धनोल्टी को नवीन तकनीकी रूप से फलपट्टी विकसित करने, 80. राजकीय पौलीटेक्निक उत्तरकाशी में फार्मेसी पाठ्यक्रम पुनः संचालित करने, 81. जनपद उत्तरकाशी में मेडिकल कालेज तथा जड़ी-बूटी शोध संस्थान की स्थापना करने।
14.	श्री अजय भट्ट	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उत्तरांचल के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, 2. उत्तरांचल की महिलाओं के उत्थान हेतु योजना बनाये जाने, 3. उत्तरांचल के विजिटिंग फैकल्टी, शिक्षक बन्धु एवं शिक्षक मित्रों को नियमित किये जाने, 4. उत्तरांचल लो0नि0वि0 एवं जल संस्थान के दैनिक भोगी एवं तदर्थ कर्मचारियों को नियमित किये जाने, 5. उत्तरांचल की प्रशिक्षण प्राप्त दाइयों को मानदेय दिये जाने, 6. उत्तरांचल की गम्भीर पेयजल समस्याओं के निराकरण हेतु लिफ्ट पम्पिंग योजनाओं को स्वीकृत किये जाने, 7. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 25-25 हैण्ड पम्प (रिग बोरिंग) दिये जाने, 8. प्राथमिक स्कूलों में दिन के भोजन दिये जाने में हो रही असुविधाओं, 9. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बनाये जा रहे प्राथमिक विद्यालय एवं जू0हा0 के घटिया भवनों के निर्माण, 10. अल्मोड़ा जिले के कोसी-शेर पम्पिंग योजना के निर्माण,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11. अल्मोड़ा जिले में गगास-चिलियानौला पम्पिग पेयजल योजना के निर्माण,
		12. अल्मोड़ा जिले में राम गंगा-चमड़खान पम्पिग योजना के निर्माण,
		13. अल्मोड़ा जिले के तहसील रानीखेत के ग्राम खनिया की छोटी पम्पिग पेयजल के निर्माण,
		14. अल्मोड़ा जिले के वि0ख0 ताड़ीखेत में स्वीकृत रूमा-बजीना पेयजल योजना का आज तक कार्य प्रारम्भ न होने,
		15. रानीखेत-चौबटिया रोप-वे बनाये जाने,
		16. अल्मोड़ा जिले के रानीखेत नगर की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए एक कन्या इण्टर कालेज एवं एक राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने,
		17. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत-पल्लकोटली मोटर मार्ग के चौड़ीकरण किये जाने,
		18. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कालिका-दलमोटी सड़क लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित किये जाने,
		19. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत-एरोड़ मंचौड़ा, मकणु-पीपलटाना मोटर मार्ग में शीघ्र कार्य प्रारम्भ किये जाने,
		20. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वारसो-काकड़ी घाट, द्वारसो-शीतलाखेत, सौनी-देवलीखेत ड्योडाखाल, चौबटिया-कुनेलाखेत-बमस्यूँ, ताड़ीखेत-पीपली मज्यूरखान, गनियाद्योली-सिगोली-अम्याड़ी एवं गनियाद्योली-टाना-बिशालकोट सड़को के डामरीकरण किये जाने,
		21. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वारसो-काकड़ी घाट सड़क का कार्य प्रारम्भ कराने,
		22. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत वलना-गगास स्वीकृत सड़कों का एवं दड़माड़ पुल का कार्य प्रारम्भ करने,
		23. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत काकड़ी घाट-शीतलाखेत के शेष अपूर्ण भाग की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
		24. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत खिरखेत-कारचूली स्वीकृत सड़क का निर्माण प्रारम्भ करने,
		25. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ज्यूड़ा-गनेल से सिलोर महादेव तक स्वीकृत सड़क का निर्माण प्रारम्भ करने,
		26. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ताड़ीखेत-पीपली-मज्यूरखान स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		27. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मनियाधोली-दना-बिशालकोट की स्वीकृत सड़क का कार्य प्रारम्भ करने, 28. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत इ्याडाखाल से पस्तोड़ा-बधिया-चमड़खान सड़क का कार्य प्रारम्भ किये जाने, 29. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत खैरना से ज्याड़ी-बोहरागांव पोखरी स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने, 30. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत भुजान-चापड़-बिल्लेख स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने, 31. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उप्राडी-शिलंगी स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने, 32. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सिरोली बैण्ड से बेड़गांव तक स्वीकृत एक किमी0 सड़क का कार्य प्रारम्भ किये जाने, 33. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ताड़ीखेत-थकुलाड़ी-बैना-मटेला मनिहार स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने, 34. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ताड़ीखेत-पथुली-मण्डलकोट स्वीकृत सड़को का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने, 35. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मजखाली-दिगोटी-दुगौड़ा मोटर मार्ग की स्वीकृति दिये जाने, 36. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति को मध्य-नजर रखते हुए जिले के मजखाली क्षेत्र में वि0ख0 की स्थापना किये जाने, 37. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति के मध्य-नजर रखते हुए अल्मोड़ा जिले के जालली क्षेत्र को वि0ख0 घोषित किये जाने, 38. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति को मध्य-नजर रखते हुए जिले के मछोड़ क्षेत्र को विकास खण्ड का दर्जा दिये जाने, 39. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रदान किये जाने, 40. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरकारी अस्पताल रानीखेत के रिक्त पड़े चिकित्सकों के पद पर शीघ्र नियुक्ति किये जाने, 41. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरकारी अस्पताल रानीखेत को एक रैफरल हास्पिटल के रूप में विस्तारित किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		42. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौबटिया (रानीखेत) स्थित उद्यान निदेशालय की रिसर्च शाखा से चतुर्थ एवं तृतीय के कर्मचारियों को नियम विरुद्ध जिले एवं मण्डल से बाहर किये गये स्थानान्तरण आदेश को निरस्त किये जाने,
		43. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील रानीखेत के खिरखेत पर 06 बिस्तरों का एक चिकित्सालय खोलने,
		44. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील रानीखेत के डोल की धार में 6 बिस्तरों का एक अस्पताल खोलने,
		45. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील रानीखेत के बग्वान नामक स्थान में 6 बिस्तरों का एक अस्पताल खोलने,
		46. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत क्षेत्र में गौ-वंश सुरक्षा हेतु एक गौशाला खोलने,
		47. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत छावनी परिषद रानीखेत के सिविल एरिया को नगरपालिका बनाने,
		48. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत को जिला बनाने,
		49. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अशासकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र शासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य के समान करने हेतु,
		50. अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत में उत्तरांचल परिवहन निगम के डिपो का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किये जाने,
		51. उत्तरांचल के डिग्री कालेजों में अध्यापकों की शीघ्र पूर्ति करने,
		52. राज्य में राजस्व अमीनों को नियमित करने,
		53. उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग में अमीनों की नियुक्ति करने,
		54. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वि०ख० ताड़ीखेत के राजस्व ग्राम पपना को पृथक ग्राम सभा के रूप में मान्यता प्रदान करने,
		55. उत्तरांचल में खोली गयी नई तहसीलों एवं उप तहसीलों में एस०डी०एम०, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार समेत पूर्ण कर्मचारियों की नियुक्ति करने,
		56. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत तहसील के अन्तर्गत खैरना-ज्याड़ी सड़क स्वीकृत करने,
		57. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत तहसील के अन्तर्गत गनियाद्योली-विश्वा डोबा-पाली-जखोली सड़क स्वीकृत करने।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
15.	श्री नारायण पाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उधमसिंह नगर जिले के ब्लाक सितारगंज में अगस्त, 2004 में भीषण बाढ़ से दर्जनों जनहानि, सैकड़ों पशुहानि, हजारों लोग बेघर, हजारों एकड़ कृषि भूमि के नुकसान होने आवागमन व संचार व्यवस्था के वांछित होने के फलस्वरूप आर्थिक मुआवजा दिये जाने, 2. राज्य की स्थायी राजधानी बनाये जाने, 3. उत्तरांचल में नये जिले जैसे खटीमा, काशीपुर बनाने की स्वीकृति तथा सितारगंज को परगना घोषित करने, 4. राज्य के उधमसिंह नगर जिले में सितारगंज औद्योगिक एरिया को अविलम्ब बनाये जाने, 5. उत्तरांचल में बंगाली समाज के नमोःशूद्र, मांजी, पौंढ को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने, 6. प्रदेश के थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, बंगाली, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं सर्व समाज का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान किये जाने, 7. उत्तरांचल राज्य में उद्योग नीति की पुनः स्थापना एवं उनको सुचारू रूप से चलाने हेतु उद्योग नीति को सरलीकरण किये जाने।
16.	चौ0 यशवीर सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उत्तरांचल राज्य के विस्तार हेतु कृत कार्यवाही किये जाने, 2. उत्तरांचल में सुदृढ़ राजस्व व्यवस्था किये जाने, 3. उत्तरांचल में लघु विद्युत परियोजनाऐं निर्मित किये जाने, 4. बेरोजगारी दूर करने हेतु नियोजन किये जाने, 5. राज्य में औद्योगिक नीति में संशोधन किये जाने, 6. राज्य में फल पट्टी विकसित करने हेतु कृत कार्यवाही किये जाने, 7. गन्ना किसानों का कमांड एरिया बढ़ाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
17.	श्री प्रेमानन्द महाजन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में मसीत-सैकनियां मोटर मार्ग की मरम्मत कराये जाने,
2. जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में आनन्दखेड़ा-महेशपुर मोटर मार्ग की मरम्मत कराये जाने,
3. जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में गदरपुर-करतारपुर मोटर मार्ग की मरम्मत कराये जाने,
4. जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में खानपुर पश्चिम मोटर मार्ग की मरम्मत कराये जाने,
5. जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में दुर्गापुर-धीमरी ब्लाक मोटर मार्ग की मरम्मत कराये जाने,
6. जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में रायपुर-बिन्दुखेड़ा- नेशनल हाई-वे 74 मोटर मार्ग की मरम्मत कराये जाने,
7. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में कन्या हाईस्कूल दिनेशपुर का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किए जाने,
8. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में कन्या जूनियर हाईस्कूल हरिदासपुर को हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण किए जाने,
9. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में जूनियर हाईस्कूल जगदीशपुर को हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकृत किए जाने,
10. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में दिनेशपुर में मण्डी की स्थापना किए जाने,
11. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र दिनेशपुर का उच्चीकरण किए जाने,
12. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में मण्डी परिषद द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में स्थानीय विधायक की संस्तुति लिए जाने,
13. जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में दिनेशपुर थाने की स्थापना किए जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14.जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में हरिपुरा एवं बौर जलाशयों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित कराये जाने, 15.जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में गदरपुर आई0टी0आई0 का भवन निर्माण किए जाने,
18.	श्री मालचन्द्र	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला के मोरी में नैटवाड़ वदाऊं वागी-सालरा देई मौताड़ आदि बाढ़ पीड़ितों को विस्थापित किये जाने, 2. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला वि.स. क्षेत्र में मटर, चौलाई, आदि फसल को औलों से होने वाले नुकसान का उचित मुआवज़ा दिये जाने, 3. उत्तरांचल में भेड़ पालकों को चारागाह चुगान के लिए परमिट दिये जाने, 4. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला में मोरी-भान्सू सरांश सड़क बनाने, 5. जनपद उत्तरकाशी में आराकोट थुनजा सड़क बनाये जाने, 6. जनपद उत्तरकाशी में पौल्टी पुल बनाये जाने, 7. जनपद उत्तरकाशी में राजगढ़ी सरनोल सड़क का डामरीकरण किये जाने, 8. जनपद उत्तरकाशी में झूलापुल चपराड़ी का निर्माण किये जाने, 9. जनपद उत्तरकाशी में गंगाड़ पुल बनाये जाने, 10.जनपद उत्तरकाशी में पर्यटक स्थल केदार काण्ठ एवं वागसीटा के लिए पैदल मार्गो का सौन्दर्यीकरण किये जाने, 11.उत्तरांचल की तहसीलों में स्टाफ नियुक्त किये जाने, 12.जनपद उत्तरकाशी में शाकरी-हरकीदून मार्ग बनाये जाने, 13.देहरादून से राजगढ़ी, गंगराड़ी, आराकोट, जखोल, शाकरी-रोडवेज़ बस सेवा शुरू किये जाने, 14.जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत रोडवेज़ बस अड्डा पुरोला में बनाये जाने, 16. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बड़कोट में हवाई पट्टी बनाये जाने, 17. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों को बनाये जाने, 18. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बड़कोट में झूलापुल बनाये जाने, 19. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गंगताड़ी से चाड़गांव तक सड़क बनाये जाने, 20. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मुलाना में झूलापुल बनाये जाने, 21. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मौटी-शाकरी सड़क बनाये जाने, 22. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला मोरी में स्टेडियम बनाये जाने, 23. जनपद उत्तरकाशी के पर्यटक स्थलों को सड़कों से जोड़े जाने, 24. उत्तरांचल में नगदी फसलों के लिए छोटी मण्डियाँ बनाये जाने, 25. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गंगराड़ी, वटाणू आदि में ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने, 26. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गंडगाड छरसाई इण्टर कालेज खोले जाने, 27. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में पर्यटकों की सुविधा हेतु रोप-वे नैनीताल की तर्ज़ पर बनाए जाने।
19.	श्री अरविन्द पाण्डे	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. जनपद उधमसिंह नगर में जसपुर से लेकर खटीमा तक की वर्ग-4 की भूमि का किसानों के नाम नियमितीकरण किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2. जनपद उधमसिंह नगर में चीनी मिल, बाजपुर के कर्मचारियों की वर्षों से लम्बित चतुर्थ व पंचम वेतनमान की मांग लागू किये जाने, 3. उत्तरांचल में चीनी मिल कर्मचारियों की पी.आई.बी. समाप्त हो जाने से प्रभावित कर्मचारियों की दयनीय स्थिति के बारे में, 4. उत्तरांचल की चीनी मिल बाजपुर, गदरपुर, नादेही, सितारगंज, किच्छा आदि मिलों में मृतक आश्रितों के नियोजन किये जाने, 5. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत चकरपुर, खमरियां, लखनपुर, बाँसखेड़ी, महोली जंगल, बन्ना खेड़ा, गोबरा गजरौला, सिहाली, बेरियाँ दोलत, रामनगर गाँव, रामपुराकांजी, केलाखेला, सरकड़ी रोड, गणेशपुर रोड, शौका नंगला, धनसारा रोड, विजयनगलियाँ रोड व गडरी नदी पर पुल निर्माण, फौजी कालोनी रोड का निर्माण किये जाने, 6. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत बरेहनी, बोरियाँ दोलत, स्कूलों को उच्चीकरण किये जाने, 7. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत हरिपुरा हरसान इण्टर कालेज को 4 एकड़ भूमि वन विभाग से विद्यालय के नाम तथा फर्नीचर आदि की समस्या के निदान किये जाने, 8. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती को रोकने, 9. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत विजपुरी प्रस्तावित इंटरकालेज की भूमि से अवैध कब्जा हटाने, 10. जनपद उधमसिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आर्टिजन की आवश्यकता तथा खेतों की सिंचाई किये जाने, 11. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर क्षेत्र की विभिन्न नदियों तथा नहरों में अवैध खनन रोकने,
20.	श्री हरिदास	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों जो बी.पी.एल. कार्ड से लाभान्वित नहीं हुए हैं, उनके बी.पी.एल. कार्ड बनवाये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2. प्रदेश के दुर्गम एवं अतिदुर्गम क्षेत्रों में महिला चिकित्सालय खोले जाने, 3. प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार लाने हेतु उपाय किये जाने, 4. भ्रष्टाचार एवं घोटालों पर पाबन्दी लगाने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने, 5. प्रदेश के बेरोज़गारों को रोज़गार देने हेतु रोज़गार परक योजना बनाये जाने, 6. प्रदेश में दलित उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ठेस प्रयास किये जाने, 7. उत्तरांचल में अफसरशाही पर अंकुश लगाने का ठेस प्रयास किये जाने, 8. उत्तरांचल में अनुसूचित जाति जनजाति, के आर्थिक विकास की कार्य योजना बनाये जाने, 9. खनन नीति एवं आबकारी नीति को संशोधित कर राजस्व को बढ़ाये जाने, 10. उत्तरांचल में पैट्रोल डीज़ल पर लगाये गये अतिरिक्त कर को हटाये जाने, 11. उत्तरांचल में प्राथमिक विद्यालयों एवम जूनियर हाईस्कूलों में जिले के अध्यापकों की जिले में तैनाती किये जाने, 12. प्रदेश में विकास कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाये जाने, 13. प्रत्येक गम्भीर पेयजल संकट वाले गांवों में पेयजल की सुविधा दिलाये जाने, 14. विश्व प्रसिद्ध (दरगाह) पिरान कलियर मेले को कुम्भ मेले की भाँति आयोजित कराने।
21.	मौ0 सहजाद	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. हरिद्वार जनपद में सरकार द्वारा कोई भूमि अधिग्रहण न किये जाने, 2. उत्तरांचल के प्रत्येक विधान सभा में 50-50 हैण्डपम्प लगाये जाने, 3. जनपद हरिद्वार की नदी काशराल पर पुल बनवाये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4. गन्ना किसानों को गन्ना, उपज का प्रति कुन्तल 200 (दो सौ रूपये) दिये जाने,
22.	डा0 नारायण सिंह जंतवाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. खटीमा, मसूरी एवं मुजफ्फरनगर सहित राज्य आन्दोलनकारियों पर दण्डात्मक कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने, 2. केन्द्रीय करों से राज्य को विशेष अनुदान देने, 3. तालुका जनपद नैनीताल हिमालयी संस्कृति पर आधारित संग्रहालय बनाये जाने, 4. डा0 सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज हल्द्वानी में मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी अनियमितताओं को दूर करने, 5. वन विभाग का पुनर्गठन तथा विचाराधीन पुनर्गठन प्रस्ताव में नैनीताल स्थित प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल का कार्यालय/मुख्यालय को पूर्व स्थापित स्थानों में ही रखने। 6. नैनीताल महायोजना के अन्तर्गत आवासीय भू-उपयोग के तहत भूखण्ड प्लाट के उप विभाजन पर लगी रोक शासन स्तर से हटाने एवं आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत करने। 7. पंजीकृत कृषकों द्वारा अपनी नाप भूमि में उत्पादित तेजपात की निकासी दिये जाने। 8. यू.पी. डिजिटल्स लि. भवाली के 24 कर्मियों की सेवाऐं उत्तरांचल में नियमित बनाये रखने, 9. कालाढूंगी-नैनीताल में पौलिटेक्निक स्कूल की स्थापना करने। 10. नगर पंचायत कालाढूंगी नैनीताल में सन् 1947 से पूर्व निवास करने वाले आवासहीनों को मालिकाना हक प्रदान करने, 11. पंगूट-दैचौरी-कोटबाग (नैनीताल) के मोटर मार्ग निर्माण करने, 12. ज्योलीकोट जनपद नैनीताल के समीप नालों के कटान से जनता को हो रहे जानमाल के खतरे का निवारण करने, 13. ज्योलीकोट (नैनीताल) में आई.टी.आई. की स्थापना करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14. इण्डो-डच मशरूम परियोजना (ज्योलीकोट-नैनीताल) द्वारा उत्पादकों को पूर्व में निर्धारित शर्तों के अनुसार सुविधायें न देने से गरीब मश्रूम उत्पादकों को ऋण के कुचक से निकालने, 15. भुजियाघाट-मोरा (वि.ख. भीमताल) नैनीताल कृषकों की सुविधा हेतु मार्ग एवं पुल निर्माण करने, 16. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा लिए जाने वाली परीक्षाओं में प्रदेश के प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से बुलाने, 17. नगर पंचायत क्षेत्र कालाढूंगी जनपद नैनीताल में भूमि कटाव से काश्तकारों की भूमि एवं जानमाल को उत्पन्न खतरे के निराकरण करने, 18. रानीबाग (नैनीताल) स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल चित्रशिला का विकास करने, 19. जनपद नैनीताल में प्राकृतिक आपदाओं से काश्तकारों की फसलों को बचाए जाने के लिए हेलनेट या अन्य सुरक्षा प्रणाली अपनाये जाने, 20. बल्दियाखान, ज्योलीकोट जनपद नैनीताल में काश्तकारों की उत्पाद की सुरक्षा के लिए कोल्डस्टोर के निर्माण करने, 21. कालाढूंगी-भवाली एवं ज्योलीकोट नैनीताल में कृषि उप मण्डी स्थापित करने। 22. पर्यटन की दृष्टि से गठियाताल (नैनीताल) का सौन्दर्यकरण किये जाने, 23. ओखला ढुंगा विकासखण्ड भीमताल जनपद नैनीताल क्षेत्र में राष्ट्रीय वृत्त बैंक शाखा खोलने, 24. मेडिकल कालेज हल्द्वानी (नैनीताल) में उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क में छूट दिये जाने। 25. रोडवेज़ वर्कशाप भवाली जनपद नैनीताल को भवाली में दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने।
23.	श्री काशी सिंह ऐरी श्री पुष्पेश त्रिपाठी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. उत्तरांचल राज्य का नाम ऐतिहासिक व पौराणिक तथ्यों के आधार पर "उत्तराखण्ड" रखे जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

2. उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी पर्वतीय राज्य के मध्यस्थल पेशावर काण्ड के महानायक वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली की कर्मस्थली चन्द्रनगर गैरसैण में स्थापित करने,
3. राज्य प्राप्ति के लिये अपने प्राणों की आहूति देने वाले क्रान्तिवीरों के परिवारों को सम्मानित करने व शहीदों की स्मृति को अक्षुण रखने,
4. राज्य आंदोलन के लगभग ढाई दशकों के लम्बे संघर्ष में राज्य प्राप्ति हेतु कारावास की यातना सहने वाले वास्तविक आंदोलनकारियों, घायल आंदोलनकारियों यातनाऐं सहने वाले आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानियों की भाँति सम्मनित करने व रोज़गार प्रदान करने,
5. राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर जैसे जघन्य काण्डों के लिये उत्तरदायी अधिकारियों को दण्डित करने,
6. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारियों को उत्तर प्रदेश भेजे जाने,
7. राज्य की प्रमुख भाषाओं कुमाऊँनी, गढ़वाली, जौनसारी को आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने,
8. प्रदेश में शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु, विज़टिंग फैकल्टी, राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान अल्मोड़ा व देहरादून के अंशकालिक शिक्षकों को नियमित करने तथा नियत वेतनमान में कार्यरत अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं की नियमित नियुक्ति किये जाने,
9. पुनागिरी, द्वाराहाट, पाण्डखोली, तड़ागताल, जौरासी, बैजनाथ, मानिला, चौखुट्या को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने,
10. स्वयं सेवी एवं निजी संस्थाओं को लीज़ पर दिये गये राजकीय उद्यानों सहित अन्य उद्यानों को स्थानीय शिक्षित बेरोज़गारों की सहकारी समिति बनाकर लीज़ पर दिये जाने,
11. उत्तरांचल में स्थापित हो रहे सरकारी गैर सरकारी उद्योगों में उत्तरांचल के मूल निवासी शिक्षित एवं प्रशिक्षित बेरोज़गारों को 85 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने,
12. प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मस्टरोल तथा वर्कचार्ज कर्मियों को नियमित किये जाने,
13. प्रदेश के सीमांत क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए सीमांत जनपदों में विकास की विशेष योजनाऐं लागू किये जाने हेतु पृथक से निधि की व्यवस्था किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14. उत्तरांचल परिवहन निगम की बस सेवा हल्द्वानी से वाया द्वाराहाट तिपौला तक किये जाने, 15. उत्तरांचल परिवहन निगम की हल्द्वानी से दुनागिरी तक नियमित बस सेवा शुरू किये जाने, 16. उत्तरांचल परिवहन निगम की बस सेवा रामनगर से वाया मॉसी जालली होते हुए द्वाराहाट तक शुरू किये जाने, 17. उत्तरांचल परिवहन निगम की बस सेवा रानीखेत से वाया द्वाराहाट गोदी-खीड़ा (चौखुटिया) तक शुरू किये जाने, 18. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बटुलिया को उच्चीकृत किये जाने, 19. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कमोत्तर जूनियर हाईस्कूल ईड़ा चौधार को हाईस्कूल तक उच्चीकृत किये जाने, 20. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कमोत्तर जूनियर हाईस्कूल चित्रेश्वर को हाईस्कूल तक उच्चीकृत किये जाने, 21. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कमोत्तर जूनियर हाईस्कूल भटकोट को हाईस्कूल तक उच्चीकृत किये जाने, 22. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुनागिरी को इण्टरमीडिएट तक उच्चीकृत किये जाने, 23. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत आदर्श इण्टर कालेज सुरईखेत में इण्टर स्तर पर वित्तीय मान्यता (बाइलाजी) किए जाने, 24. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत महाकालेश्वर में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, 25. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वाराहाट को नागरिक चिकित्सालय का दर्जा दिये जाने, 26. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट में महिला चिकित्सालय खोले जाने, 27. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित बिन्ता (जनपद अल्मोड़ा) में आई.टी.आई. एवं चौखुटिया में महिला पौलीटेक्निक खोले जाने, 28. गोविन्द बल्लभ कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर की कृषि अनुसंधान शाखा चौखुटिया में खोले जाने, 29. होटल मैनेजमेन्ट संस्थान द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा में खोले जाने, 30. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत गगास पम्पिंग योजना पंद्रह ग्रामसभाओं हेतु (खीरोघाटी) तत्काल बनाये जाने, 31. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट चौखुटिया में बन्द दस हाइड्रम योजनाओं को पुनः चालू किये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		32. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रिस्कना पुल (तिपोला) से खलना पैठनी (नौरी) दस कि0मी0 सड़क बनाये जाने, 33. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत छतगुल्ला बैण्ड मल्ली कहाली, तल्ली कहाली से बाड़ी होते हुए बेढुली तक सड़क बनाये जाने, 34. सीमान्त जनपदों के सभी नौजवानों हेतु सैनिक भर्ती की शैक्षिक योग्यता कक्षा-8 (आठ) उत्तीर्ण रखने की सिफारिश केन्द्र सरकार से किये जाने, 35. वि0स0 क्षेत्र कनालीछीना के मुख्यालय कनालीछीना तथा उप तहसील देवलथल को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने, 36. वि0स0 क्षेत्र कनालीछीना में स्थित व संचालित सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाईस्कूल डुँगरी-मिताड़ी गाँव हरड़ीखान, तामाकोट तथा चौपाता को हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकृत व प्रान्तीयकृत किये जाने, 37. वि0स0 क्षेत्र कनालीछीना के अन्तर्गत मानक पूरा करने वाले सभी जू0हा0 स्कूलों को हाई स्कूल तक तथा हाईस्कूलों को इण्टर तक उच्चीकृत किये जाने, 38. बस्तिया (टनकपुर) झूलाघाट जौलजीवी मोटर मार्ग को पूरा किये जाने हेतु धनराशि दिये जाने तथा जौलजीवी झूलाघाट तक अवशेष मोटर मार्ग को प्राथमिकता से पूरा किये जाने, 39. पूर्व घोषित जालली ब्लाक की विधिवत स्थापना किये जाने, 40. कुमाऊँ द्वाराहाट के ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्याल्दे बिखौती मेले को विशेष राजकीय दर्जा दिये जाने, 41. द्वाराहाट पुनर्गठन पेयजल योजना एवं चौखुटिया पेयजल योजना को पूर्ण करने हेतु शीघ्र धन आवंटन करने, 42. द्वाराहाट वि0स0 क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए 35 अतिरिक्त हैण्डपम्प स्वीकृत करने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
24.	श्री हरबंस कपूर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तरांचल के नगरीय क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु मास्टर प्लान बनाये जाने, सफाई कर्मियों की भर्ती किये जाने, नगरीय क्षेत्रों में बहने वाले गंदे नालों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने हेत सफाई गैंगों का गठन किये जाने, नालों तथा सीवर लाइनों की सफाई हेतु उपकरण उपलब्ध कराये जाने, अपोषित क्षेत्रों में नई सीवर लाइनों के अन्तिम छोर पर सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान लगाये जाने,
2. उत्तरांचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने,
3. उत्तरांचल में बेरोज़गारी दूर करने हेतु नई रोज़गार नीति बनाये जाने,
4. प्रदेश में पौलीथीन का उत्पादन विपणन एवं उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने,
5. प्रदेश की ढुलमुल कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने,
6. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं देहरादून विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को समाप्त करने व देहरादून के सुनियोजित विकास हेतु योजना बनाये जाने,
7. देहरादून में बकरालवाला से भण्डारीबाग तक बहने वाले गंदे नाले में सभी सीवर कनैक्शनों को किये जाने और सीवर कनैक्शनों को सीवर लाइन से जोड़े जाने, नालों में सी.सी. पाइप डाले जाने, बंद नालों के ऊपर मार्ग निर्माण कराये जाने, मुख्य मार्गों पर यातायात के दबाव को कम किये जाने,
8. देहरादून वि0स0 क्षेत्र में पेयजल के अभाव वाले क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने हेतु पण्डितवाड़ी, खुड़बुड़ा, चूक्खूवाला, गोविन्दगढ़, कौलागढ़, विजय पार्क क्षेत्रों में नलकूप लगाये जाने,
9. देहरादून में बढ़ती आबादी निरन्तर बढ़ते वाहनों की संख्या से उत्पन्न यातायात समस्या के समाधान हेतु फ्लाई ओवरों का निर्माण कराये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10. देहरादून की विश्वविख्यात बासमती चावल एवं लीची उत्पादन को संरक्षण प्रदान किये जाने तथा बासमती चावल एवं लीची के उत्पादन करने वालों को प्रोत्साहित किये जाने, 11. देहरादून वि0स0 क्षेत्र के पुरानी आबादी वाले क्षेत्र की पेयजल प्रणाली के लिए मास्टर प्लान बनाये जाने क्षतिग्रस्त एवं पुरानी लाइनों को बदले जाने, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने,
25.	श्री हरभजन सिंह चीमा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर में काशीपुर को जिला घोषित किये जाने, 2. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर में ग्रामीण क्षेत्र में की जा रही चकबन्दी को रोककर बन्दोबस्त कराये जाने, 3. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर में नगर पालिका काशीपुर व उससे जुड़ी कालोनियों में जल सप्लाई व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने, 4. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर की नगर पालिका काशीपुर की जलभराव समस्या का निदान करने, 5. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर की नगर पालिका काशीपुर में सफाई व्यवस्था एवं हैण्डपम्पों की व्यवस्था करने, 6. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर में सड़कों, पुलों, पुलियों की जर्जरता से छुटकारा दिलाये जाने, 7. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर में बह रही ढेला नदी के मुरादाबाद रोड क्रासिंग से दक्षिण दिशा में नदी के पूर्वी तट पर 2 कि0मी0 लम्बा बांध बनाये जाने,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर में ग्राम सभा ढकिया कला के ग्राम ढकिया नं0-1 ग्राम शिवलालपुर अमरझड़ा एवं ग्राम जुकी म.नं. 1 में एक-एक नवीन कन्या हाईस्कूल स्थापित कराये जाने एवं जू0हा0 स्कूल बरखेड़ी, ढकिया नं0-1 पैगा एवं जोशी मजरा के उच्चीकरण किये जाने,
		9. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर में पथरी नदी पर 2 पुल बनाये जाने,
		10. लगभग 15 वर्ष पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा जनपद उधमसिंह नगर में काशीपुर की 14 औद्योगिक इकाईयों की परिवहन उत्पादन से संबंधित जाँच सी.बी.सी.आई.डी. बरेली द्वारा सतर्कता विभाग, उत्तरांचल को स्थानांतरित किये जाने से उपजी स्थिति के प्रति मा0 मुख्यमंत्री द्वारा वाद वापस लिये जाने हेतु लिये गये निर्णय के बावजूद भी उत्तरांचल सरकार द्वारा केस वापस न लिये जाने,
		11. उत्तरांचल में पिछड़ी हुई जट सिक्ख जाति को पिछड़ा वर्ग घोषित किये जाने,
		12. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर में वर्ष 2002-03 के अन्तर्गत अलीगंज मार्ग एवं मानपुर-फिरोजपुर मार्ग के निर्माण में गुणवत्ता की जाँच कराये जाने,
		13. जनपद उधमसिंह नगर की नगर पालिका काशीपुर में बाईपास बनाये जाने,
		14. जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र काशीपुर में हवाई पट्टी बनाये जाने।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
26.	श्री सुरेश चन्द्र जैन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जायः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रुड़की शहर को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने,
2. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रुड़की शहर के बहुत पुराने कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित इन्स्ट्रूमैन्ट के कार्य को आधुनिकरण किये जाने,
3. उत्तरांचल में बिजली की बढ़ी दरों को कम करने,
4. सोलर ऊर्जा की अधिक से अधिक व्यवस्था किये जाने,
5. प्राकृतिक गैस द्वारा चालित पावर हाउस स्थापित किये जाने,
6. जनपद हरिद्वार की मंगलौर गुड़ मंडी को बचाने हेतु गुड़ पर शून्य ट्रेड किये जाने,
7. हरिद्वार से निकलने वाली गंग नहर का यू0पी0 से परिसम्पत्ति के बटवारे के समय उत्तरांचल के अन्दर स्थित गंग नहर की जमीन एवं पानी के बहाव दोनों पर उत्तरांचल के स्वामित्व के सम्बन्ध में,
8. उत्तरांचल में पूर्व एन0डी0ए0 सरकार द्वारा घोषित उद्योग नीति के अन्तर्गत 2011 तक लगने वाले उद्योगों को सुविधा पूर्ववत् किये जाने,
9. राज्य में नई निर्माणाधीन बस्तियों को पूर्ण विकसित करने पर ही पास किये जाने,
10. राज्य में जल संसाधनों द्वारा पानी की दरो में बढ़ोत्तरी को कम किये जाने,
11. राज्य में चकबन्दी की प्रकिया को पूर्णतः समाप्त किये जाने,
12. राज्य में स्थाई व मूल निवास प्रमाण पत्र को अत्यन्त सरलीकरण करने,
13. राज्य में गन्ने का भाव 200 रूपये प्रति कुन्तल किये जाने,
14. रुड़की को पृथक जिला घोषित किये जाने,
15. रुड़की पेयजल को सुदृढ करने के लिए 8 ट्यूबवैल व टैंक बनाये जाने,
16. नई सड़के बनने से पहले अन्य सम्बन्धित विभागों से तालमेल करने के सम्बन्ध में,

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		17. नगर निगम व नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों को बढ़ाये जाने, 18. रुड़की क्षेत्र की सिवरेज व्यवस्था को सुदृढ करने, 19. रुड़की क्षेत्र में गन्दे पानी की निकासी के लिये बने नालों का अतिक्रमण हटाये जाने व उनका पक्का तथा चौड़ा किये जाने, 20. उत्तरांचल सचिवालय में प्रत्येक भवन में बैठने वाले अधिकारियों का नाम व विभाग एक बोर्ड पर लिखे जाने, 21. रुड़की क्षेत्र में मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने, 22. रुड़की क्षेत्र में गर्वमेंट गर्ल्स इण्टर कालेज स्थापित किये जाने, 23. रुड़की क्षेत्र में स्थापित सरकारी अस्पताल का आधुनिकीकरण करने, 24. रुड़की क्षेत्र में हवाईपट्टी बनाये जाने, 25. रुड़की क्षेत्र में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम की स्थापना किये जाने, 26. रुड़की क्षेत्र में स्थित प्राकृतिक पाडली गुलर झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने, 27. रुड़की क्षेत्र में नव निर्मित सब्जी मण्डी से सोलानी नदी के किनारे से होते हुए पिरान-किलयर मार्ग से जोड़ने वाले मिनी बाई पास के किये जाने, 28. रुड़की शहर में स्थित गंग नहर के किनारों का घाटों के रूप में विकसित करने व सौन्दर्यकरण किये जाने, 29. रुड़की में स्थित गंग नहर के ऊपर महावीर चौंक के सामने वी0टी0 गंज को जोड़ने वाले पुल का निर्माण करने, 30. रुड़की क्षेत्र में ट्रासपोर्ट नगर स्थापित किये जाने, 31. रुड़की स्थित कोतवाली को सिविल लाईन बाजार से हटाकर अन्य जगह स्थापित किये जाने, 32. रुड़की क्षेत्र के लिये एस0पी0 नियुक्ति किये जाने, 33. हरिद्वार जिले में एस0पी0 व ए0डी0एम0 प्रोटोकाल नियुक्ति किये जाने, 34. विभागों में होने वाले स्थानान्तरण में पारदर्शिता अपनाने, 35. विभागों में होने वाली नियुक्तियों में पारदर्शिता अपनाने।